

**तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत आई.टी.आई. में प्रशिक्षण अधिकारियों के पदों की
 भर्ती चयन परीक्षा-2022 (परीक्षा केवल म.प्र. के मूल निवासी के लिये)**

परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका

ऑनलाइन आवेदन-पत्र	
आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि : 01-11-2022	आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि : 15-11-2022
आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि : 01-11-2022	आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि : 20-11-2022
परीक्षा दिनांक व दिन	16-12-2022 से प्रारम्भ
परीक्षा शुल्क	
सीधी भर्ती पदों हेतु	अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये रु. 500/- (प्रति प्रश्न पत्र)
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिये (केवल म.प्र. के मूल निवासियों के लिये) रु. 250/- (प्रति प्रश्न पत्र)
	सीधी भर्ती - बैकलॉग कोई शुल्क नहीं
ऑनलाइन आवेदन - कियोस्क के माध्यम से आनलाईन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपीआनलाईन का पोर्टल शुल्क रुपये 60/- देय होगा । इसके अतिरिक्त रस्टिड सिटीजन यूजर के माध्यम से लागिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20/- रु. देय होगा ।	

आनलाईन परीक्षा पद्धति समय सारणी

परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिये रिपोर्टिंग समय	महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय	उत्तर अंकित का समय
16-12-2022 से प्रारम्भ	प्रथम	प्रातः 7:00 से 8:00 बजे तक	08:50 से 09:00 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 09:00 से 11:00 बजे तक (2:00 घंटे)
	द्वितीय	दोपहर 12:00 से 1:00 बजे तक	01:50 से 02:00 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 02:00 से 04:00 बजे तक (2:00 घंटे)

टिप्पणी :-

- अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है ।
- बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। यु.आई.डी.ए.आई.(UIDAI) के द्वारा सत्यापित(Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा । मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
- अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड / ई-आधार कार्ड / आधार कार्ड की छायाप्रति/ आधार नंबर/ आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य हैं ।
- परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है । अतः जिन अभ्यर्थियों का आधार नम्बर लॉक है वह परीक्षा दिनांक को परीक्षा केन्द्र पर उपस्थिति के पूर्व आधार अनलॉक करवाना सुनिश्चित करें ।
- परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी । इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।
- परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यथा मोबाईल फोन, केलकुलेटर, लॉग टेबल्स, एवं नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
- ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
- परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है

9. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी ।
10. आवेदन-पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण मण्डल द्वारा नहीं किया जाकर नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है । अतः कम्प्यूटर आधारित online परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता (Eligibility) (पूर्णतः प्रावधिक (Provisional) होगी ।
11. उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा ।
12. मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया/सहरिया एवं भारिया अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अकार्यपालिक पदों के लिये अपने आवेदन पत्र समस्त आवश्यक प्रमाण-पत्र संलग्न करते हुये हार्डकॉपी में निर्धारित (नियम पुस्तिका के प्रारूप-3 में) आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि तक मण्डल को न भेजते हुये सीधे संबंधित विभाग को पृथक-पृथक आवेदन प्रेषित करना होगा । मण्डल को प्रेषित आवेदन पत्र अमान्य माना जायेगा ।

म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल - 462011

फोन नं. 0755-2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755-2550498

Complain: Peb.mp.gov.in वेबसाईट : www.peb.mp.gov.in

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारियों के पदों की
भर्ती हेतु **चयन परीक्षा-2022** (परीक्षा केवल म.प्र. के मूल निवासी के लिये)

विषय-सूची

स.क्रं.	अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्र.
1.	1	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारियों के पदों की भर्ती हेतु चयन परीक्षा-2022	4-17
2.	2	विभागवार रिक्त पदों का विवरण तथा आरक्षण तालिका	18-38
3.	3	म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल की परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली	39-56
4	4	परीक्षा का पाठ्यक्रम	57
6	प्रारूप-1	आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी पत्रक	58
7	प्रारूप-2	यात्रा देयक प्राप्ति के लिये स्वयं के बैंक खाता विवरण पत्रक	59
8	प्रारूप-3	मध्यप्रदेश के आदिम जनजाति समुदाय जैसे:-बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन पत्र	60

अध्याय - 01
कौशल विकास संचालनालय
मध्यप्रदेश, जबलपुर

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारियों
के पदों की भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2022

निर्देश

चयन संबंधी अनुदेश

म.प्र. औद्योगिक प्रशिक्षण (अराजपत्रित) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2009 एवं संशोधन दिनांक 17 अप्रैल 2012 तथा 08 फरवरी 2013 व 26 सितम्बर 2018 एवं समय-समय पर जारी नियम/निर्देशों में दिये गये प्रावधान अनुसार तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत कौशल विकास संचालनालय (आईटीआई) में प्रशिक्षण अधिकारियों के विभिन्न पदों की सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा-2022 में निम्न निर्देश लागू होंगे:-

1.0 सामान्य:-

यह निर्देश उन समस्त आवेदकों पर लागू होंगे, जो कि कौशल विकास संचालनालय मध्यप्रदेश, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत प्रशिक्षण अधिकारियों (विभिन्न व्यवसायों) की सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा-2022 में आवेदन कर रहे हैं।

2.0 परिभाषाएं:-

- (अ) इन निर्देशों में श्रेणी से तात्पर्य पांच श्रेणियों अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से होगा।
- (ब) बोर्ड से तात्पर्य म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल से है।
- (स) म.प्र. से तात्पर्य मध्यप्रदेश राज्य से है।

3.0 पदों की संख्या, आरक्षण तालिका एवं शैक्षणिक योग्यता:-

संलग्न परिशिष्ट-"एक, दो एवं तीन अनुसार

4.0 आरक्षण:-

- 4.1 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) नियम, 1998 दिनांक 24 दिसम्बर 2019 द्वारा सीधी भरती द्वारा भरे जाने वाले राज्य स्तरीय पदों/संवर्गों के लिये माडल रोस्टर जारी किया गया है जिसमें तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के लिये अनुसूचित जाति 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति 20 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग 27 प्रतिशत एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये 10 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया गया है।

- 12.2 महिला उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों से पदों को भरा जा सकेगा।

- 4.3 भूतपूर्व सैनिकों के लिए सभी पदों, व्यवसायों में 10 प्रतिशत पद समस्तर व प्रभागवार (होरिजेन्टल कम्पार्टमेंट वाइस) आरक्षित रहेंगे। भूतपूर्व सैनिक उपलब्ध न होने पर उसी प्रवर्ग के ओपन/महिला उम्मीदवारों से (मेरिट के आधार पर) पदों को भरा जा सकेगा।
- 4.4 मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-8-2/2013/आ.प्र./एक दिनांक 30 जून 2014 अनुसार निःशक्तजनों के विज्ञापित पद वर्गवार न होकर निःशक्तजनों की श्रेणीवार (अस्थि बाधित/दृष्टि बाधित/श्रवण बाधित) निर्धारित किये गये हैं तथा परिपत्र दिनांक 03/07/2018 द्वारा श्रेणीवार क्रमशः (1) दृष्टि बाधित और कम दृष्टि-1.5 प्रतिशत (2) बहरे और कम सुनने वाले-1.5 प्रतिशत (3) लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्राफी-1.5 प्रतिशत (4) आटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता-1.5 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया गया है। मेरिट अनुसार (ओपन/महिला) एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./अनारक्षित एवं ईडब्लूएस वर्ग में से जिस वर्ग के निःशक्तजन का चयन होगा, उसी वर्ग में निःशक्तजनों के पद समायोजित होंगे। निःशक्तजनों को विकलांगता के आधार पर पद के कृत्यों के संबंध में उपयुक्तता प्रमाण पत्र उपनिदेशक (पुनर्वास) महानिदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण विकलांग व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्र (VRC) नेपियर टाऊन जबलपुर से प्राप्त कर दस्तावेज परीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।
- 4.5 प्रशिक्षण अधिकारी पद सरल क्रमांक 01 से 09 एवं क्रमांक 11 से 19 तक के प्रत्येक व्यवसाय के कुल पदों में से 50 प्रतिशत पद इंजीनियरिंग में डिग्री/डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों से भरे जावेंगे।
- 4.5.1 यदि किसी व्यवसाय में कुल पदों में से 50 प्रतिशत या अधिक डिग्री/डिप्लोमा धारी उम्मीदवार मेरिट के आधार पर चयनित होते हैं तो फिर 50 प्रतिशत की सीमा को ध्यान में नहीं रखा जावेगा अर्थात् मेरिट के आधार पर डिग्री/डिप्लोमाधारी उम्मीदवार 50 प्रतिशत से अधिक चयनित हो सकते हैं। जिस व्यवसाय में 50 प्रतिशत से कम डिग्री/डिप्लोमाधारी उम्मीदवार चयनित होंगे उनमें शेष (चयनित डिग्री/डिप्लोमा को छोड़कर) डिग्री/डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों की मेरिट सूची तैयार कर वर्टिकल/होरिजेन्टल आरक्षण की सीमा को ध्यान में रखते हुये डिग्री/डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों का चयन किया जावेगा, भले ही डिग्री/डिप्लोमाधारी उम्मीदवार व्यवसाय की मेरिट सूची में गैर डिग्री/ डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों से नीचे हों।
- 4.5.2 50 प्रतिशत डिग्री/डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों की संख्या किसी व्यवसाय के कुल पदों पर सुनिश्चित की जावेगी। उदाहरण स्वरूप प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रानिक्स मैकेनिक के विज्ञापित कुल पदों की संख्या 25 है जिसमें अनुसूचित जाति के 04, अनुसूचित जनजाति के 05, अन्य पिछड़ा वर्ग के 06, अनारक्षित के 08 तथा आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्लूएस) के 02 उम्मीदवारों का चयन किया जाना है। यदि चयन हेतु आयोजित परीक्षा में मेरिट के आधार पर इन 25 में से किसी भी संवर्ग के 13 डिग्री/डिप्लोमाधारी उम्मीदवार उपलब्ध हो जाते हैं जैसे अपिव के 05 एवं अनारक्षित

संवर्ग के 08 उम्मीदवार डिग्री/डिप्लोमाधारी उपलब्ध हो जाते हैं तो अजा. एवं अजजा संवर्ग के क्रमशः 04 एवं 05 पदों पर डिग्री/डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों का आरक्षण लागू नहीं होगा।

4.5.3 यदि किसी व्यवसाय में 01 पद विज्ञापित है तो वह डिग्री/डिप्लोमाधारी उम्मीदवार से भरा जा सकेगा।

4.5.4 सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 11 जनवरी 2010 एवं संशोधन दिनांक 31 मई 2018 में प्रकाशित नियम 4 ख “आदिम जनजातियों के लिये विशेष उपबन्ध अनुसार यदि आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर की सहारिया/सहरिया आदिम जनजाति, जिला मण्डला, डिण्डोरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर की बैगा आदिम जनजाति तथा जिला छिंदवाड़ा तथा सिवनी की भारिया जनजाति का है, और उस पद के लिये विहित की गई न्यूनतम अर्हता रखता है, तो उसे भर्ती प्रक्रिया को अपनाए बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जाएगा।

उक्तानुसार चयन किये गये उम्मीदवारों की संख्या विज्ञापित पदों में समायोजित की जावेगी। इनके चयन का आधार विज्ञापित तकनीकी योग्यता में प्राप्त अंकों के प्रतिशत की मेरिट के आधार पर होगा। यदि कोई आवेदक एक से अधिक तकनीकी योग्यतायें उत्तीर्ण है तो जिस तकनीकी योग्यता में अधिक अंक प्राप्त हुये हैं, उस योग्यता के प्राप्तांकों का प्रतिशत मेरिट सूची में चयन के लिये मान्य किया जावेगा।

4.5.5 म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-5-2/2018/1/3 भोपाल, दिनांक 05 जून 2018 एवं दिनांक 08 फरवरी 2019 द्वारा संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति के अवसर प्रदान किये जाने हेतु नीति-निर्देश बनाये गये हैं, जिसके मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं-

- i भर्ती किये जाने वाले पदों में 20 प्रतिशत पद संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आरक्षित रहेंगे, किन्तु इस नीति अन्तर्गत आरक्षण सुविधा का एकबार लाभ लेकर नियुक्ति प्राप्त कर लेने Joining उपरान्त पुनः लाभ की पात्रता नहीं होगी।
- ii सीधी भर्ती का रिक्त पद जिस श्रेणी का है उसी श्रेणी में आवेदक न्यूनतम 05 वर्ष तक संविदा पर नियुक्त रहा हो। 05 वर्ष की अवधि रिक्त पद पर आवेदन करने की दिनांक को पूर्ण होना चाहिए। इस आशय का प्रमाण- पत्र उसे प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाण-पत्र यथास्थिति जिला स्तर पर अथवा राज्य स्तर के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ मान्य होगा।
- iii यदि किसी संविदा सेवक ने विभिन्न पदों पर कार्य किया है तो उसकी कुल संविदा सेवा 05 वर्ष की होना चाहिए। अगर उसने विभिन्न श्रेणी के पदों पर संविदा पर कार्य किया है तो 05 वर्ष की उपरोक्त अवधि की गणना पूर्ण होने पर वह उस श्रेणी के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेगा जो इस 05 वर्ष में निम्नतम श्रेणी का था।
- iv अगर किसी शासकीय सेवक को संविदा के पद से किसी अवधि में हटा दिया गया हो तथा उसे पुनः उसी पद पर अथवा किसी अन्य पद पर संविदा पर नियुक्ति प्राप्त हो गई हो तो 05 वर्ष की संविदा सेवा की अवधि की गणना सेवा से पृथक रहने की अवधि को घटाकर की जायेगी।

- v किसी भी विभाग में कार्यरत संविदा पर नियुक्त सेवक अन्य किसी भी विभाग के द्वारा विज्ञप्त पद पर आवेदन कर सकेगा, जिसके लिए वह अर्हता रखता हो।
- vi संविदा सेवक एक अथवा उससे अधिक श्रेणी के संविदा पदों पर नियुक्त रहा हो सकता है। ऐसी स्थिति में जिस श्रेणी के नियमित पद पर वह नियुक्ति का आवेदन करता है उसके समकक्ष एवं उच्चतर श्रेणी के संविदा पद पर वह जितने वर्ष कार्यरत रहा उतने वर्ष की छूट उसे निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में मिलेगी। यह छूट सहित अधिकतम आयु आवेदन दिनांक अथवा पद की भर्ती के लिए जारी विज्ञप्ति में निर्धारित दिनांक को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु उक्त परिपत्र में उल्लेखित नियम/निर्देश व शर्तें यथावत लागू होंगी।
उक्त के साथ ही विज्ञापन की नियम पुस्तिका (रूल बुक) में उल्लेखित नियम/निर्देश व शर्तें यथावत लागू होंगी।

5.0 वेतनमान:- समस्त पदों का वेतनमान सातवें वेतनमान में लेवल-8 के अंतर्गत 32800/- रु. प्रतिमाह एवं समय-समय पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते एवं अन्य भत्ते की पात्रता होगी। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2019 द्वारा शासकीय सेवा में सीधी भर्ती के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर चयन होने पर 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किये जाने संबंधी निर्देश प्रसारित किये गये हैं तथा निम्नानुसार व्यवस्था की गई है:-

- (अ) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 8(1) के तहत सीधी भर्ती के पद पर प्रथमतः तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जावे।
- (ब) परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

आरक्षण -

5.1.1 मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों एवं मध्यप्रदेश राजपत्र 530 दिनांक 24 दिसम्बर 2019 के अनुसार, अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित लंबवत (वर्टिकल) आरक्षण लागू होगा -

अनुसूचित जनजाति	-	20 प्रतिशत
अनुसूचित जाति	-	16 प्रतिशत
अन्य पिछड़े वर्ग	-	27 प्रतिशत
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	-	10 प्रतिशत

5.1.2 क्षैतिज आरक्षण -

(क) मध्यप्रदेश राजपत्र(असाधारण) क्र 454 दिनांक 17 नवम्बर 2015 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997

नियम 3 में उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया गया है :-

किन्ही सेवा नियमों में, किसी बात के होते हुए भी, राज्य के अधीन सेवा में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर समस्त पदों के (वन विभाग को छोड़कर) तैंतीस (33 प्रतिशत) प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे तथा उक्त आरक्षण समस्तर और प्रभागवार (होरिजेन्टल एण्ड कम्पार्टमेंटवाइज) होगा ।

(ख) सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल, के आदेश क्र.एफ 8/4/2001/आप्र/एक(पार्ट)भोपाल, दिनांक 03/07/2018 के अनुसार दिव्यांगजन को दिव्याजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 तथा मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 12 के तहत प्रत्येक सरकारी स्थापन में सीधी भर्ती के प्रक्रम में भरे जाने वाले द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणीकी लोक सेवाओं एवं पदों में दिव्यांगों के लिए 6 प्रतिशत आरक्षण निम्नानुसार किया गया है :-

1.	दृष्टिबाधित और कमदृष्टि,	(VH)	1.5 प्रतिशत
2.	बहरे और कम सुनने वाले,	(EH)	1.5 प्रतिशत
3.	लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्राफी	(LD)	1.5 प्रतिशत
4.	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता	(MD)	1.5 प्रतिशत

परन्तु यह आरक्षण संबंधित विभाग द्वारा निःशक्त या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पहचाने और चिन्हित किए गए पदों के लिए दिया जाएगा।

(ग) मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियों में आरक्षण) नियम, 1985 के अनुसार क्रमशः तृतीय श्रेणी, के लिए 10 प्रतिशत तथा चतुर्थ श्रेणी के लिए 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्राप्त होगा।

5.1.3 (क) समस्त प्रकार के आरक्षित प्रवर्गों की गणना तथा अध्यपेक्षा के प्रारूप में ऐसे आरक्षित पदों के व्यौरों का उल्लेख करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विभाग पर होगा। मण्डल द्वारा पदों की संख्या की गणना नहीं की जाएगी यदि गणना में कोई त्रुटि पाई जाती है तो मण्डल इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(ख) शारीरिक रूप से विकलांग या निःशक्त अभ्यर्थियों में निःशक्तता की प्रतिशतता का सत्यापन चिकित्सीय बोर्ड द्वारा किया जाएगा और भूतपूर्व सैनिकों की दशा में निदेशक, सैनिक कल्याण बोर्ड मध्यप्रदेश द्वारा किया जाएगा और सत्यापन की प्रक्रिया विभाग/विभागाध्यक्ष/संस्था द्वारा ही की जाएगी मण्डल द्वारा नहीं।

(ग) उपरोक्त सभी प्रकार के आरक्षण के संबंध में आरक्षित प्रवर्गों को विभिन्न प्रकार की छूट/शिथिलता इस निमित्त लागू अधिनियमों तथा नियमों के उपबंधों के अनुसार दी जाएगी

- (घ) परीक्षा का अंतिम परिणाम आने के पूर्व सीधी भर्ती में आरक्षण के संबंध में यदि म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कोई संशोधन किया जाता है तो नवीन संशोधन का पालन किया जाएगा।
- 5.2.1 सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक सी 5-2/2018/1/3 भोपाल, दिनांक 05 जून 2018 के अनुसार राज्य शासन के विभिन्न विभागों में संविदा पर नियुक्ति अधिकारियों/ कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए जाने हेतु निम्नानुसार दिश निर्देश जारी किए जाते हैं, संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों का आशय है वर्तमान अथवा पूर्व में संविदापर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी :-
- 5.2.2 प्रत्येक विभाग के भर्ती किए जाने वाले पदों में 20 प्रतिशतपद संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आरक्षित रहेंगे, किन्तु इस नीति के अंतर्गत आरक्षण सुविधा का एक बार लाभ लेकर नियुक्ति प्राप्त कर लेने (joining) उपरांत पुनः लाभ की पात्रता नहीं होगी।
- 5.2.3 इस आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्न संविदा सेवक पात्र होंगे :-
- 5.2.4 सीधी भर्ती का रिक्त पद जिस श्रेणी का है उसी श्रेणी में आवेदक न्यूनतम 05 वर्ष तक संविदा पर नियुक्त रहा हो। 05 वर्ष की यह अवधि रिक्त पदों पर आवेदन करने के दिनांक को पूर्ण होना चाहिए। इस आशय का प्रमाण-पत्र उसे प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाण-पत्र यथा स्थिति जिला स्तर पर अथवा राज्य स्तर के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।
- 5.2.5 सेवा-नियमों में प्रश्नाधीन नियमित पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता तथा अन्य सुसंगत अनुभव जो वॉलेंट है, उन्हें वह पूर्ण करता हो।
- 5.2.6 यदि किसी संविदा सेवक ने विभिन्न पदों पर कार्य किया है तो उसकी कुल संविदा सेवा 05 वर्ष की होना चाहिए। अगर उसने विभिन्न श्रेणी के पदों पर संविदापर कार्य किया है तो 05 वर्ष की उपरोक्त अवधि की गणना पूर्ण होने पर वह उस श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेगा जो इस 05 वर्ष में निम्नतम श्रेणी का था।
- 5.2.7 अगर किसी शासकीय सेवक को संविदा के पद से किसी अवधि में हटा दिया गया हो तथा उसे पुनः उसी पद पर अथवा किसी अन्य पद पर संविदापर नियुक्ति प्राप्त हो गई हो तो 05 वर्ष की संविदा सेवा की अवधिकी गणना सेवा से पृथक् रहने की अवधि को घटा कर की जाएगी।
- 5.2.8 किसी भी विभाग में कार्यरत संविदा पर नियुक्ति सेवक अन्य किसी भी विभाग के द्वारा विज्ञप्त पद पर आवेदन कर सकेगा जिसके लिए वह अर्हता रखता हो यह आवश्यक नहीं है कि जिस विभाग में संविदा पर सेवक नियुक्त है उसी विभाग में उसे नियमित किए जाने के अवसर दिए जाएं।
- 5.2.9 राज्य शासन में नियमित नियुक्ति होने पर उन्हें पूर्व की संविदा सेवाओं का किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा।
- 5.2.10 संविदा कर्मियों के लिए आरक्षित किए गए सीधी भर्ती के नियमित पदों पर पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के माध्यम से चयन होगा। इस चयन प्रक्रिया में नियुक्तिकर्ता विभाग द्वारा न्यूनतम कटऑफ अंक निर्धारित किए जाएंगे।
- 5.2.11 संविदा सेवक एक अथवा उससे अधिक श्रेणी के संविदा पदों पर नियुक्त रहा हो सकता है। इसी स्थिति में जिस श्रेणी के नियमित पद पर वह नियुक्ति का आवेदनकरता है उसके

समकक्ष एवं उच्चतर श्रेणी के संविदापरपर वह जितने वर्ष कार्यरत रहा उतने वर्ष की छूट उसे निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा में मिलेगी। यह छूट सहित अधिकतम आयु आवेदन दिनांक अथवा पद की भर्ती के लिए जारी विज्ञप्ति में निर्धारित दिनांक को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

5.2.12 नियुक्ति की प्रक्रिया में अनुसूचित जाति/ जनजाति/ पिछड़ा वर्ग के आरक्षण नियमों का पालन होगा।

5.2.13 विभागों का इस नीति के अनुरूप अपना प्रशासकीय सेटअप तथा भर्ती नियमों में यथोचित परिवर्तन करने होंगे। यहाँ आवश्यक हो वहाँ भर्ती में प्रतिबंध से आवश्यक छूट भी प्राप्त की जावेगी। किसी विभाग द्वारा संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में यदि कोई सुविधा पूर्व से प्रदत्त की जा रही हो तो वह यथावत् रख सकेगा।

5.3 मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक 07-11/2019/आ.प्र./एक दिनांक 22 नवम्बर, 2019 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(ई. डब्लू.एस.) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

5.4 आवेदन शुल्क -

आवेदन शुल्क का विनिश्चय बोर्ड की कार्यपालक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें परीक्षा शुल्क भी सम्मिलित होगा। शुल्क में छूट जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को लागू हैं, मध्यप्रदेश के उन मूल निवासियों को ही लागू होगी जिन्हें सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का घोषित किया गया है :

परन्तु अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया गया समझा जाएगा

परन्तु यह और कि ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं और क्रीमी लेयर में आते हैं, आरक्षण के लाभ, आयु सीमा में छूट या इस प्रवर्ग के लिए किसी अन्य लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।

6.0 न्यूनतम आयु सीमा:

सभी पदों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम न हो। न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा की गणना परीक्षा/चयन होने की ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन की स्थिति में किया जाना है।

7.0 सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक सी 3-8/2016/1/3 भोपाल, दिनांक 04 जुलाई 2019 के अनुसार म.प्र. के मूल निवासियों के लिए सीधी भर्ती के पदों हेतु आयु-सीमा में अधिकतम छूट निम्नानुसार रहेगी:-

क	भर्ती का तरीका	म.प्र. लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले पदों (राजपत्रित/अराजपत्रित/ कार्यपालिक) के लिए	लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए
		न्यूनतम/अधिकतम आयु सीमा (वर्ष में)	
1	खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिये	21 से 40	18 से 40
2	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय/निगम/ मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/ नगरसैनिक/ निःशक्तजन/ महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिये	21 से 45 (अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट)	18 से 45 (अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट)

नोट:- सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा।

टीपः परीक्षा केवल म.प्र. के मूल निवासी के लिये। सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु-सीमा 45(संविदा कर्मचारियों को छोड़कर) वर्ष से अधिक नहीं होगी।

नोट:- सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 07-46-2021/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 18 सितम्बर 2022 के अनुसार राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर भर्ती हेतु कोविड-19 के कारण विगत तीन वर्षों से भर्ती परीक्षाएँ नियमित आयोजित नहीं की जा सकी है, अतः अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा दिसम्बर-23 तक अभ्यर्थियों की उपरोक्तानुसार अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्षों की छूट भरे जाने वाले पदों के संबंध में जारी प्रथम विज्ञापन में प्रदान किया गया है।

7.1 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटें:-

- (क) आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के संवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. सी-3-10-85-3-1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जावेगी।
- (ख) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. सी-3-18- 85-3-1, दि. 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।

7.2 आवेदकों की आयु सीमा के संबंध में अन्य विवरण:-

- (क) ऐसे उम्मीदवार, को जो कि छूटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा से अधिक से अधिक सात वर्ष की अवधि भले

ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप निकलने वाली आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण:- शब्द “छूटनी किये गये शासकीय कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य अथवा संघटक इकाई में से किसी भी इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छः माह तक निरन्तर रहा हो तथा रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया था।

(ख) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण:-शब्द “भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरन्तर सेवा करता रहा हो तथा जिसका किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता यूनिट (इकाई) की सिफारिशों के फलस्वरूप या कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छूटनी की गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक (सरप्लस) घोषित किया गया हो:-

- (1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व निवृत्ति-रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्शेसन) के अधीन सेवा मुक्त किया गया हो,
- (2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा भर्ती किया गया हो, और
 - (क) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर
 - (ख) भर्ती संबंधी शर्तें पूरी होने पर सेवा मुक्त कर दिया गया हो,
- (3) मद्रास सिविल युनिट (इकाई) के भूतपूर्व कर्मचारी
- (4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें अनुबन्ध पूरा होने पर सेवामुक्त किया गया हो, जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं।
- (5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवा मुक्त किया गया हो।
- (6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग कर दिये गये हों।
- (7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक न बन सकेंगे
- (8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो,

टीप - यदि कोई आवेदक प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटों में से निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है, तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में ही छूट का लाभ प्राप्त होगा। सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए इस परीक्षा में सा.प्र.शा. विभाग के आदेश दिनांक 18/09/2022 के अनुसार अधिकतम आयु-सीमा 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

7.3 म.प्र. शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन अधिनियम 2011 अनुसार 62 वर्ष होगी।

8.0 आवेदन करने हेतु आवश्यक निर्देश:

8.1 आनलाईन आवेदन भरे जाने की तिथि एवं अन्य जानकारी हेतु म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश को पढ़ें।

8.2 कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले सावधानीपूर्वक निर्देशों को पढ़ लें। आप निर्देश पुस्तिका आईटीआई परीक्षा लिंक से डाउन लोड कर सकते हैं।

8.3 आवेदन पत्र एम.पी. आनलाईन की वेबसाइट www.mponline.gov.in के माध्यम से भरा जा सकता है।

8.4 आवेदन पत्र में दी गयी जानकारी असत्य पाये जाने पर आवेदक की उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकेगी एवं नियमानुसार आवेदक के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

8.5 कृपया ऐसे आवेदक आवेदन न करें जो निर्धारित शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए हों लेकिन उनका परीक्षा परिणाम आवेदन करने की तिथि तक घोषित न हुआ हो। समस्त प्रमाण पत्र जैसे जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, ड्रायविंग लायसेंस, संविदा कर्मचारियों हेतु 05 वर्ष की संविदा अवधि का प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर (ई.डब्ल्यू.एस.) प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि तक जारी किये हुये ही मान्य होंगे।

8.6 आवेदक को म.प्र. का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

8.7 शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण-पत्र, मूल निवासी, आर्थिक रूप से कमजोर (ई.डब्ल्यू.एस.) प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर दिया हुआ हो। इन दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं किया जाना है। चयनित होने की दशा में सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अवलोकन कराया जाना है।

8.8 शासकीय/अर्द्ध शासकीय संस्था/कार्यालयों में कार्यरत आवेदनकर्ता को अपने कार्यालय/विभाग का एनओसी प्राप्त करना अनिवार्य है अभिलेखों की जांच के समय एन.ओ.सी. प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

8.9 यदि आवेदक एक से अधिक पदों पर चयनित होता है तो उसे कौशल विकास संचालनालय में उपस्थित होकर शपथ पत्र पर लिखित में किसी एक पद पर चयन के लिए सहमति देना होगी। सहमति उपरांत शेष पदों पर दावेदारी समाप्त मानी जावेगी।

इसी तरह यदि आवेदक का किसी पद पर नियुक्ति आदेश जारी हो जाता है तथा वह उस पद पर कार्यग्रहण कर लेता है तब यदि प्रतीक्षा सूची में उसका नाम अन्य किसी पद के लिये या उसी पद की अन्य श्रेणी में मेरिट में आता है तो उसकी उम्मीदवारी अन्य पदों या श्रेणी से स्वयमेव समाप्त हो सकेगी, क्योंकि उम्मीदवार द्वारा पूर्व में पद पर कार्यग्रहण कर लिया गया है।

8.10 व्यवसायवार विभिन्न पदों के लिये परीक्षा की समय-सारिणी अलग-अलग होगी।

8.11 एक ही आवेदन भरते हुये अपने पदों की पात्रतानुसार सम्मिलित होने वाले पदों की परीक्षा के लिये ट्रेडों से संबंधित प्रश्न पत्रों का चयन करें।

9.0 पद के लिये निरहर्ता:-

9.1 किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों द्वारा समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन/साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिये निरर्हित माना जा सकेगा।

9.2 जिस आवेदक की दो से अधिक संतानें हो जिसमें से एक का जन्म 26.1.2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। ऐसे उम्मीदवार आवेदन न करें।

9.3 शासन द्वारा निर्धारित आयु अर्थात् महिलाओं के लिये 18 वर्ष एवं पुरुषों के लिये 21 वर्ष से कम में विवाह करने वाला उम्मीदवार नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। ऐसे उम्मीदवार आवेदन न करें।

9.4 कोई अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध के लिये दोष सिद्ध ठहराया गया हो: परन्तु किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध किसी न्यायालय में यदि ऐसे मामले लंबित हैं, तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले के अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा।

10.0 दस्तावेजों का परीक्षण:-

10.1 मेरिट सूची प्रकाशित होने तक आवेदकों के किसी भी प्रकार के दस्तावेजों का सत्यापन नहीं किया जावेगा। यह आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी कि वह भली भाँति सुनिश्चित कर ले कि वह विज्ञापित पद के लिए समस्त अर्हतायें पूर्ण करता है। मेरिट सूची जारी होने के बाद विज्ञापित पदों की संख्या के समरूप उम्मीदवारों को मूल दस्तावेज की जांच हेतु बुलाया जावेगा, यदि जांच में यह पाया जाता है कि आवेदक विज्ञापन अनुसार अर्हता नहीं रखता है तो उसकी उम्मीदवारी स्वयमेव ही समाप्त मानी जाएगी। अभिलेख परीक्षण हेतु बुलाये गये आवेदक अपने पद से संबंधित समस्त मूल दस्तावेजों एवं उसकी एक सत्यापित छायाप्रतियों के साथ उपस्थित होना होगा।

अपात्र/अनुपस्थित उम्मीदवारों के स्थान पर मेरिट से अगले उम्मीदवारों के चयन हेतु दस्तावेज परीक्षण के लिये बुलाया जायेगा।

10.2 जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर की सहारिया/सहरिया आदिम जनजाति, जिला मण्डला, डिण्डोरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर की बैगा आदिम जनजाति तथा जिला छिंदवाड़ा तथा सिवनी

की भारिया जनजाति के आवेदकों को मूल अभिलेखों के साथ अभिलेखों के परीक्षण हेतु बुलाया जायेगा।

11.0 पाठ्यक्रम:- सभी पदों के लिए ट्रेड से संबंधित पाठ्यक्रम के 75 वस्तुनिष्ठ Objective type प्रश्न एवं कक्षा दसवीं स्तर के निम्न विषयों से 25 वस्तुनिष्ठ Objective type प्रश्न पूछे जायेंगे।

1. विज्ञान एवं गणित
2. सामान्य ज्ञान
3. तार्किक ज्ञान
4. बेसिक कम्प्यूटर ज्ञान

12.0 चयन प्रक्रिया:-

12.1 चयन परीक्षा के पूर्व आवेदन पत्रों की जांच नहीं की जावेगी। अतः परीक्षा के लिए बुलाये जाने का आशय यह नहीं होगा कि आपकी उम्मीदवारी (Candidature) अंतिम रूप से मान्य कर ली गयी है। आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी की सत्यता की जिम्मेवारी उम्मीदवार की होगी।

12.2 समस्त प्रकार के पदों के लिए चयन परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों में से विज्ञापित पद की संख्या के अनुरूप मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों से प्रमाण पत्र एवं अभिलेख बुलवाये जावेंगे। जांच उपरांत यदि उम्मीदवार की योग्यता विज्ञापित पद अनुरूप नहीं पायी गई या कोई अभिलेख गलत पाया गया तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जावेगी। जिन उम्मीदवारों के अभिलेख एवं प्रमाण पत्र विज्ञापन अनुसार सही पाये जावेंगे उनका पुलिस चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा, इस हेतु शपथ पत्र देना होगा। नियुक्ति के समय उम्मीदवार को जिला मेडीकल बोर्ड से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

12.3 समस्त प्रकार के पदों के लिए चयन केवल लिखित परीक्षा के आधार पर होगा।

12.4 समस्त पदों के लिए लिखित परीक्षा में अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को कम से कम 40 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं ई.डब्ल्यू.एस. तथा निःशक्तजन श्रेणी के उम्मीदवारों को कम से कम 36 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है।

उपरोक्त मापदण्ड संविदा कर्मियों के लिए भी लागू होंगे।

13.0 यात्रा किराये का भुगतान:- मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 4-3/2018/नियम/चार भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2019 एवं शासन द्वारा जारी नियम निर्देश अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रिमीलेयर को छोड़कर) तथा दृष्टिबाधित (निःशक्तजन) श्रेणी के उम्मीदवारों को यात्रा व्यय का भुगतान किया जायेगा। यात्रा किराये का भुगतान, टिकट एवं जाति प्रमाण पत्र तथा हॉल्ट टिकट प्रस्तुत करने पर संबंधित परीक्षा केन्द्र से या उनके बैंक खातों में किया जावेगा। भुगतान की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी:-

- 13.1 उम्मीदवार को यात्रा व्यय भुगतान, आवेदन पत्र भरकर प्रस्तुत करने पर देय होगा। आवेदक यह आवेदन पत्र भरकर साथ में लावे।
- 13.2 आवेदन पत्र के साथ हॉलट टिकिट, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, टिकिट मूलरूप में या टिकिट का नम्बर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 13.3 हॉलट टिकिट की छायाप्रति पर परीक्षा हाल में उपस्थित इनविजिलेटर से यह लिखवाना होगा “ये लिखित परीक्षा में उपस्थित हुए तत्पश्चात् इनविजिलेटर के हस्ताक्षर करवाना आवश्यक होगा।
- 1.18 परीक्षा केन्द्र -
परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण मण्डल के माप दण्डों अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर किया गया जावेगा।
- 14.0 न्याय/क्षेत्राधिकार:-
किसी भी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित होगा।

संचालक
कौशल विकास मध्यप्रदेश

अध्याय-2
विभागवार रिक्त पदों का विवरण
सीधी भर्ती के रिक्त पदों का विवरण

भर्ती का प्रकार	श्रेणीवार उपलब्ध पद संख्या					कुल
	अना.	EWS	अजा.	अजजा	अपिब	
सीधी भर्ती	69	22	38	48	67	244
सीधीभर्ती 20% संविदा कर्मियों हेतु आरक्षित	17	08	08	13	15	61
	86	30	46	61	82	305

स. क्र.	प्राथमिकता क्रम हेतु विभाग का नाम, जिनमें पद रिक्त है	पोस्ट कोड	भर्ती का प्रकार	पद	श्रेणीवार उपलब्ध पद संख्या					कुल	पद की स्थिति
					अना.	EWS	अजा.	अजजा	अपिब		
01	तकनीकी कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, जबलपुर	01	सीधी भर्ती	प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रानिक्स मैकेनिक	07	01	03	04	05	20	अकार्यपालिक
		02	सीधी भर्ती	प्रशिक्षण अधिकारी डीजल मैकेनिक	10	04	06	08	12	40	अकार्यपालिक
		03	सीधी भर्ती	प्रशिक्षण अधिकारी रेफ्रिजेशन तथा एयर कंडीशनर मैकेनिक	03	01	01	03	03	11	अकार्यपालिक
		04	सीधी भर्ती	प्रशिक्षण अधिकारी ड्रासमेन मैकेनिकल	01	01	02	02	01	07	अकार्यपालिक
		05	सीधी भर्ती	प्रशिक्षण अधिकारी ड्रासमैन सिविल	06	02	03	03	05	19	अकार्यपालिक
		06	सीधी भर्ती	प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रिशियन	14	04	08	09	13	48	अकार्यपालिक
		07	सीधी भर्ती	प्रशिक्षण अधिकारी कम्प्यूटर आपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट	14	04	08	09	13	48	अकार्यपालिक
		08	सीधी भर्ती	प्रशिक्षण अधिकारी फिटर	07	02	04	05	06	24	अकार्यपालिक
		09	सीधी भर्ती	प्रशिक्षण अधिकारी गणित/ड्राईंग	06	03	03	04	08	24	अकार्यपालिक
		10	सीधी भर्ती	प्रशिक्षण अधिकारी स्टेनो हिन्दी	01	00	00	01	01	03	अकार्यपालिक
					69	22	38	48	67	244	

20 प्रतिशत संविदा कर्मचारियों हेतु आरक्षित पदों

स. क्र.	प्राथमिकता क्रम हेतु विभाग का नाम, जिनमें पद रिक्त है	पोस्ट	भर्ती का	पद	श्रेणीवार उपलब्ध पद संख्या					कुल	पद की स्थिति
		कोड	प्रकार		अना.	EWS	अजा.	अजजा	अपिव		
02	तकनीकी कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, जबलपुर	11	सीधी भर्ती	प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक	01	01	01	01	01	05	अकार्यपालिक
		12	सीधी भर्ती	प्रशिक्षण अधिकारी डीजल मैकेनिक	03	01	02	02	02	10	अकार्यपालिक
		13	सीधी भर्ती	प्रशिक्षण अधिकारी रेफ्रिजेशन तथा एयर कंडीशनर मैकेनिक	00	01	01	00	01	03	अकार्यपालिक
		14	सीधी भर्ती	प्रशिक्षण अधिकारी ड्रासमेन मैकेनिकल	01	00	00	00	01	02	अकार्यपालिक
		15	सीधी भर्ती	प्रशिक्षण अधिकारी ड्रासमैन सिविल	01	00	01	02	01	05	अकार्यपालिक
		16	सीधी भर्ती	प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रिशियन	03	02	01	03	03	12	अकार्यपालिक
		17	सीधी भर्ती	प्रशिक्षण अधिकारी कम्प्यूटर आपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट	03	02	01	03	03	12	अकार्यपालिक
		18	सीधी भर्ती	प्रशिक्षण अधिकारी फिटर	02	01	00	01	02	06	अकार्यपालिक
		19	सीधी भर्ती	प्रशिक्षण अधिकारी गणित/ड्राईंग	02	00	01	01	01	05	अकार्यपालिक
		20	सीधी भर्ती	प्रशिक्षण अधिकारी स्टेनो हिन्दी	01	00	00	00	00	01	अकार्यपालिक
				योग	17	08	08	13	15	61	

पदनाम, वेतनमान तथा शैक्षणिक योग्यता

आरक्षण तालिका

पोस्ट कोर्ड-01 सीधी भर्ती - प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रानिक्स मैकेनिक - कुल 20 पद

(अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	05	01	00	01	07	निःशक्तजनों की कुल 01 रिक्तियों में से 00 VH 00 EH 00 LD एवं 01 MD निःशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जावेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	00	01	00	00	01	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	01	01	00	03	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	03	01	00	00	04	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	03	02	00	00	05	
	योग	12	06	01	01	20	

वेतनमान - 32800-103600

शैक्षणिक योग्यता-

हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठ्यक्रम से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ संबंधित ट्रेड से एनसीव्हीटी/एससीव्हीटी से एआईटीटी(आई.टी.आई)/एनएसी (अप्रेन्टिसशिप) परीक्षा उत्तीर्ण।

अथवा

हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठ्यक्रम से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ सेन्टर आफ एक्सीलेंस योजना अंतर्गत इलेक्ट्रानिक्स सेक्टर में मल्टी स्किलिंग कोर्सेस का एनसीव्हीटी/एससीव्हीटी से दो वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण

अथवा

एआईसीटीई/यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से इलेक्ट्रानिक्स/इलेक्ट्रानिक्स एण्ड टेली कम्यूनिकेशन/ इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कंट्रोल सिस्टम/ इलेक्ट्रानिक्स साइंस एण्ड इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन/इलेक्ट्रानिक्स इंस्ट्रुमेंटेशन एण्ड कंट्रोल/ इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इंस्ट्रुमेंटेशन/ इलेक्ट्रानिक्स एण्ड टेलीमेटिक्स से इंजीनियरिंग/टेक्नालाजी में स्नातक उपाधि अथवा पालीटेक्निक से डिप्लोमा उत्तीर्ण।-

नोट - सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 30 जून 2014 के अनुसार निःशक्तजनों का आरक्षण वर्गवार न होकर निःशक्तजनों की श्रेणीवार (अस्थि बाधित, दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित) निर्धारित किया गया है तथा परिपत्र दिनांक 03-07-2018 द्वारा श्रेणीवार क्रमशः (1) दृष्टि बाधित और कम दृष्टि-1.5 प्रतिशत (2) बहरे और कम सुनने वाले-1.5 प्रतिशत (3) लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीडित, मस्क्युलर डिस्ट्राफी-1.5 प्रतिशत (4) आटिज्म बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता-1.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। अतः 01 पद आटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता के लिए आरक्षित है। मेरिट अनुसार (ओपन, महिला, एससी, एसटी, ओबीसी, अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस) वर्ग में से जिस वर्ग के निःशक्तजन का चयन होगा, उसी वर्ग में निःशक्तजनों के पद समायोजित होंगे।

पोस्ट कोर्ड-02 सीधी भर्ती - प्रशिक्षण अधिकारी डीजल मैकेनिक - कुल 40 पद

(अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	06	03	01	00	10	निःशक्तजनों की कुल 02 रिक्तियों में से 01 VH 01 EH 00 LD एवं 00 MD निःशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जावेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	02	01	01	00	04	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	04	01	00	01	06	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	04	03	01	00	08	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	08	04	00	00	12	
	योग	24	12	03	01	40	

वेतनमान - 32800-103600

शैक्षणिक योग्यता-

हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठ्यक्रम से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ संबंधित ट्रेड से एनसीव्हीटी/ एससीव्हीटी से एआईटीटी (आई.टी.आई /एनएसी (अप्रेन्टिसशिप परीक्षा उत्तीर्ण और लाईट मोटर व्हीकल का ड्रायविंग लायसेंस।

अथवा

हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठ्यक्रम से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ सेन्टर आफ एक्सीलेंस योजना अंतर्गत मल्टी स्किलिंग कोर्सेस का एनसीव्हीटी एससीव्हीटी से दो वर्षीय पाठ्यक्रम।

आटो मोबाईल सेक्टर से उत्तीर्ण और लाईट मोटर व्हीकल का ड्रायविंग लायसेंस।

अथवा

एआईसीटीई यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से मैकेनिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग (आटोमोबाइल आटोमोटिव व आटोमोबाइल से इंजीनियरिंग टेक्नालाजी में स्नातक उपाधि अथवा पालीटेक्निक से डिप्लोमा उत्तीर्ण और लाईट मोटर व्हीकल का लायसेंस।

नोट - सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 30 जून 2014 के अनुसार निःशक्तजनों का आरक्षण वर्गवार न होकर निःशक्तजनों की श्रेणीवार (अस्थि बाधित, दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित) निर्धारित किया गया है तथा परिपत्र दिनांक 03-07-2018 द्वारा श्रेणीवार क्रमशः (1) दृष्टि बाधित और कम दृष्टि-1.5 प्रतिशत (2) बहरे और कम सुनने वाले-1.5 प्रतिशत (3) लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्रोफी-1.5 प्रतिशत (4) आटिज्म बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता-1.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। अतः 01 पद दृष्टिबाधित और कम दृष्टि तथा 01 पद बहरे और कम सुनने वाले के लिये आरक्षित है। मेरिट अनुसार (ओपन, महिला, एससी, एसटी, ओबीसी, अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस) वर्ग में से जिस वर्ग के निःशक्तजन का चयन होगा, उसी वर्ग में निःशक्तजनों के पद समायोजित होंगे।

पोस्ट कोर्ड-03 सीधी भर्ती - प्रशिक्षण अधिकारी रेफ्रिजरेशन तथा एयर कंडीशनर मैकेनिक -
कुल 11 पद

(अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	02	01	00	00	03	निःशक्तजनों की कुल 01 रिक्तियों में से 00 VH 00 EH 01 LD एवं 00 MD निःशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जावेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	01	00	00	00	01	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	00	00	00	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	02	01	00	00	03	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	02	00	00	01	03	
	योग	08	02	00	01	11	

वेतनमान - 32800-103600

शैक्षणिक योग्यता-

हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठ्यक्रम से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कंडीशनिंग ट्रेड से एनसीव्हीटी एससीव्हीटी से एआईटीटी (आईटीआई एनएसी अप्रेंटिसशिप परीक्षा उत्तीर्ण।

अथवा

हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठ्यक्रम से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ सेन्टर आफ एक्सीलेंस योजना अंतर्गत रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कंडीशनिंग सेक्टर में मल्टी स्किलिंग कोर्सेस का एनसीव्हीटी एससीव्हीटी से दो वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण।

अथवा

एआईसीटीई यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से मैकेनिकल आरएसी से इंजीनियरिंग टेक्नालाजी में स्नातक उपाधि अथवा पालीटेक्निक से डिप्लोमा उत्तीर्ण।

नोट :- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 30 जून 2014 के अनुसार निःशक्तजनों का आरक्षण वर्गवार न होकर निःशक्तजनों की श्रेणीवार (अस्थि बाधित, दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित) निर्धारित किया गया है तथा परिपत्र दिनांक 03-07-2018 द्वारा श्रेणीवार क्रमशः (1) दृष्टि बाधित और कम दृष्टि-1.5 प्रतिशत (2) बहरे और कम सुनने वाले-1.5 प्रतिशत (3) लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्राफी-1.5 प्रतिशत (4) आटिज्म बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता-1.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। अतः 01 पद लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी कुष्ठ रोग मुक्त बौनापन एसिड अटैक पीडित मस्कुलर डिस्ट्राफी के लिये आरक्षित है। मेरिट अनुसार (ओपन, महिला, एससी, एसटी, ओबीसी, अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस) वर्ग में से जिस वर्ग के निःशक्तजन का चयन होगा, उसी वर्ग में निःशक्तजनों के पद समायोजित होंगे।

पोस्ट कोर्ड-04 सीधी भर्ती - प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल - कुल 07 पद

(अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	00	01	00	00	01	निःशक्तजनों की कुल 01 रिक्तियों में से 00 VH 01 EH 00 LD एवं 00 MD निःशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जावेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	01	00	00	00	01	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	01	00	00	02	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	01	00	00	02	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	00	00	01	00	01	
	योग	03	03	01	00	07	

वेतनमान - 32800-103600

शैक्षणिक योग्यता-

हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठ्यक्रम से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ संबंधित ट्रेड से एनसीव्हीटी/एससीव्हीटी से एआईटीटी (आई.टी.आई)/ एनएसी (अप्रेन्टिसशिप परीक्षा उत्तीर्ण।

अथवा

एआईसीटीई/यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड संस्था से मैकेनिकल इंजीनियरिंग (प्रोडक्शन मैकेनिकल इंजीनियरिंग (इण्डस्ट्री इंटीग्रेटेड /प्रोडक्शन इण्डस्ट्रियल मैन्युफेक्चरिंग इण्डस्ट्रियल प्रोडक्शन प्रोडक्शन एण्ड मैन्युफेक्चरिंग मैकेनिकल (टूल एण्ड डाई मैकेनिकल (वेल्डिंग एण्ड शीट मेटल)/ मैकेनिकल (आरएसी इण्डस्ट्रियल इंजीनियरिंग एण्ड मेनेजमेंट से इंजीनियरिंग टेक्नालाजी में स्नातक उपाधि अथवा पालीटेक्निक से डिप्लोमा उत्तीर्ण।

नोट - सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 30 जून 2014 के अनुसार निःशक्तजनों का आरक्षण वर्गवार न होकर निःशक्तजनों की श्रेणीवार (अस्थि बाधित, दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित) निर्धारित किया गया है तथा परिपत्र दिनांक 03-07-2018 द्वारा श्रेणीवार क्रमशः (1) दृष्टि बाधित और कम दृष्टि-1.5 प्रतिशत (2) बहरे और कम सुनने वाले-1.5 प्रतिशत (3) लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्राफी-1.5 प्रतिशत (4) आटिज्म बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता-1.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। अतः 01 पद बहरे और कम सुनने वाले के लिये आरक्षित है। मेरिट अनुसार (ओपन, महिला, एससी, एसटी, ओबीसी, अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस) वर्ग में से जिस वर्ग के निःशक्तजन का चयन होगा, उसी वर्ग में निःशक्तजनों के पद समायोजित होंगे।

पोस्ट कोर्ड-05 सीधी भर्ती - प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्ट्समैन सिविल - कुल 19 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	03	02	01	00	06	निःशक्तजनों की कुल 01 रिक्तियों में से 01 VH 00 EH 00 LD एवं 00 MD निःशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जावेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	01	01	00	00	02	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	02	01	00	00	03	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	02	01	00	00	03	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	03	02	00	00	05	
	योग	11	07	01	00	19	

वेतनमान - 32800-103600

शैक्षणिक योग्यता-

हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठ्यक्रम से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ संबंधित ट्रेड से एनसीव्हीटी एससीव्हीटी से एआईटीटी (आईटीआई एनएसी अप्रेंटिसशिप परीक्षा उत्तीर्ण।

अथवा

एआईसीटीई यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से सिविल कंस्ट्रक्शन सिविल इंजीनियरिंग एण्ड प्लानिंग कंस्ट्रक्शन एण्ड मैनेजमेंट कंस्ट्रक्शन एण्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बिल्डिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन टेक्नालाजी से इंजीनियरिंग टेक्नालाजी में स्नातक उपाधि अथवा पालीटेक्निक से डिप्लोमा उत्तीर्ण।

नोट - सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 30 जून 2014 के अनुसार निःशक्तजनों का आरक्षण वर्गवार न होकर निःशक्तजनों की श्रेणीवार (अस्थि बाधित, दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित) निर्धारित किया गया है तथा परिपत्र दिनांक 03-07-2018 द्वारा श्रेणीवार क्रमशः (1) दृष्टि बाधित और कम दृष्टि-1.5 प्रतिशत (2) बहरे और कम सुनने वाले-1.5 प्रतिशत (3) लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्राफी-1.5 प्रतिशत (4) आटिज्म बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता-1.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। अतः 01 पद दृष्टिबाधित और कम दृष्टि के लिये आरक्षित है। मेरिट अनुसार (ओपन, महिला, एससी, एसटी, ओबीसी, अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस) वर्ग में से जिस वर्ग के निःशक्तजन का चयन होगा, उसी वर्ग में निःशक्तजनों के पद समायोजित होंगे।

उप सचिव मध्य प्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, भोपाल (म.प्र.) पत्र क्रमांक 2586/734739/2022/42-2 भोपाल दिनांक 10/10/2022 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है:-

पोस्ट कोर्ड-06 सीधी भर्ती - प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रिशियन- कुल 48 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	08	04	01	01	14	निःशक्तजनों की कुल 03 रिक्तियों में से 01 VH 01 EH 01 LD एवं 00 MD निःशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जावेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	03	01	00	00	04	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	04	03	01	00	08	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	05	03	01	00	09	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	08	04	01	00	13	
	योग	28	15	04	01	48	

वेतनमान - 32800-103600

शैक्षणिक योग्यता-

हाई स्कूल अथवा समतुल्य अथवा पुरानी पद्धति से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ समस्त पदों के लिये संबंधित ट्रेड से एनसीव्हीटी/एससीव्हीटी से एआईटीटी(आई.टी.आई)/एनएसी (शिक्षता) परीक्षा उत्तीर्ण।

अथवा

इलेक्ट्रिशियन वॉयरमैन ट्रेड के लिये हाई स्कूल अथवा समतुल्य अथवा पुराने पद्धति से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ सेन्टर आफ एक्सीलेंस योजना अंतर्गत इलेक्ट्रीकल सेक्टर में एनसीव्हीटी/एससीव्हीटी से दो वर्षीय मल्टी सिक्लिंग पाठ्यक्रम उत्तीर्ण

अथवा

एआईसीटीई/यूजीसी से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय/बोर्ड/संस्था से से इलेक्ट्रीकल / इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग/ इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग(इण्डस्ट्रियल कंट्रोल)/इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक्स (पावर सिस्टम)/ इलेक्ट्रिकल तथा इंस्ट्रुमेंटेशन/इलेक्ट्रिकल था ऊर्जा से इंजीनियरिंग/टेक्नालॉजी में स्नातक उपाधि अथवा पालीटेक्निक से डिप्लोमा उत्तीर्ण।-

पोस्ट कोर्ड-07 सीधी भर्ती - प्रशिक्षण अधिकारी कम्प्यूटर आपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट
(कोपा) - कुल 48 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	08	04	01	01	14	निःशक्तजनों की कुल 03 रिक्तियों में से 01 VH 01 EH 01 LD एवं 00 MD निःशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जावेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	03	01	00	00	04	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	04	03	01	00	08	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	05	03	01	00	09	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	08	04	01	00	13	
	योग	28	15	04	01	48	

वेतनमान - 32800-103600

शैक्षणिक योग्यता-

हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठ्यक्रम से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ संबंधित ट्रेड से एनसीव्हीटी/एससीव्हीटी से एआईटीटी(आई.टी.आई)/एनएसी (शिक्षुता) परीक्षा या डीआईएसीसी से "ए" लेबल परीक्षा या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से पी.जी.डी.सी.ए. उत्तीर्ण।

अथवा

कम्प्यूटर ऑपरेटर तथा प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (कोपा), डेस्कटाप पब्लिशर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर बेसिक कम्प्यूटर (इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर), बेसिक कम्प्यूटर आपरेटिंग स्किल तथा आई.टी.एस. एप्लीकेशन (इलेक्ट्रिकल सेक्टर)ट्रेड के लिये हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठ्यक्रम से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ सेन्टर आफ एक्सीलेंस योजना अंतर्गत आई.टी. (इन्फारमेशन टेक्नालॉजी) सेक्टर में एनसीव्हीटी/एससीव्हीटी से दो वर्षीय मल्टी सिक्लिंग पाठ्यक्रम उत्तीर्ण

अथवा

एआईसीटीई/यूजीसी से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय/बोर्ड/संस्था से से कम्प्यूटर साइंस/कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग/इंफारमेशन टेक्नोलॉजी/ इंफारमेशन तथा कम्प्यूटेशन/इंफारमेशन साइंस/ कम्प्यूटर इंजीनियरिंग/ कम्प्यूटर साइंस एण्ड सिस्टम में इंजीनियरिंग/टेक्नालॉजी में स्नातक उपाधि अथवा पालीटेक्निक से डिप्लोमा उत्तीर्ण।-

अथवा

एआईसीटीई/यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से बी.सी.ए./एम.सी.ए. परीक्षा उत्तीर्ण ।

पोस्ट कोर्ड-08 सीधी भर्ती - प्रशिक्षण अधिकारी फिटर - कुल 24 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	04	02	01	00	07	निःशक्तजनों की कुल 03 रिक्तियों में से 01 VH 00 EH 00 LD एवं 00 MD निःशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जावेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	01	01	00	00	02	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	03	01	00	00	04	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	03	02	00	00	05	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	04	02	00	00	06	
	योग	15	08	01	00	24	

वेतनमान - 32800-103600

शैक्षणिक योग्यता-

हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठ्यक्रम से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ समस्त पदों के लिये संबंधित ट्रेड में एनसीव्हीटी/एससीव्हीटी से एआईटीटी(आई.टी.आई)/एनएसी (शिक्षुता) परीक्षा उत्तीर्ण।

अथवा

हाईस्कूल अथवा समतुल्य अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं उत्तीर्ण के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के अन्तर्गत मल्टी स्किलिंग पाठ्यक्रम का एन.सी.व्ही.टी./एस.सी.व्ही.टी. से दो वर्षीय पाठ्यक्रम :-

(क) वेल्डर ट्रेड के लिये फेब्रीकेशन (फीटिंग तथा वेल्डिंग) सेक्टरसे उत्तीर्ण .

(ख) कारपेंटर ट्रेड के लिये-कंस्ट्रक्शन तथा वुड वर्किंग सेक्टर से उत्तीर्ण .

(ग) टर्नर, मशीनिस्ट (कम्पोजिट) ट्रेड के लिये-प्रोडक्शन तथा मैन्यूफेक्चरिंग सेक्टर से उत्तीर्ण .

(घ) टर्नर ट्रेड के लिये-प्रोसेस प्लांट मेटेनेस सेक्टर से उत्तीर्ण .

अथवा

एआईसीटीई/यूजीसी से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय/बोर्ड/संस्था से मैकेनिकल/ मैकेनिकल इंजीनियरिंग (प्रोडक्शन)/ मैकेनिकल इंजीनियरिंग (इण्डस्ट्रीज इंटीग्रेटेड)/ प्रोडक्शन /मैकेनिकल इंजीनियरिंग (इण्डस्ट्रीज इंटीग्रेटेड)/ प्रोडक्शन/इण्डस्ट्रियल /मैन्यूफेक्चरिंग/इण्डस्ट्रियल प्रोडक्शन/ प्रोडक्शन तथा मैन्यूफेक्चरिंग/मैकेनिकल (टूल तथा डाई)/ मैकेनिकल (वेल्डिंग तथा शीट मेटल)/ मैकेनिकल (आरएसी)/इण्डस्ट्रियल इंजीनियरिंग तथा मैनेजमेंट से इंजीनियरिंग/ टेक्नोलॉजी में स्नातक उपाधि अथवा किसी पॉलीटेक्निक से डिप्लोमा.

पोस्ट कोर्ड-09 सीधी भर्ती - प्रशिक्षण अधिकारी गणित/ ड्राईंग - कुल 24 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	04	01	01	00	06	निःशक्तजनों की कुल 01 रिक्तियों में से 00 VH 00 EH 00 LD एवं 01 MD निःशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जावेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	02	01	00	00	03	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	02	01	00	00	03	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	03	00	00	01	04	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	06	01	01	00	08	
	योग	17	04	02	01	24	

वेतनमान - 32800-103600

शैक्षणिक योग्यता-

हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठ्यक्रम से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ ड्राफ्ट्समैन मेकेनिकल ट्रेड से एनसीव्हीटी/एससीव्हीटी से एआईटीटी (आई.टी.आई.)/एनएसी (अप्रेन्टिसशिप) परीक्षा उत्तीर्ण।

अथवा

एआईसीटीई/यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से मैकेनिकल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग (प्रोडक्शन)/ मैकेनिकल इंजीनियरिंग (इण्डस्ट्री इंटीग्रेटेड) प्रोडक्शन / इण्डस्ट्रियल/मैन्युफेक्चरिंग/इण्डस्ट्रियल प्रोडक्शन/प्रोडक्शन एण्ड मैन्युफेक्चरिंग/मैकेनिकल (टूल एण्ड डाई)/मैकेनिकल (वेल्डिंग एण्ड शीट मेटल)/मैकेनिकल (आरएसी) इण्डस्ट्रियल इंजीनियरिंग एण्ड मैनेजमेंट से इंजीनियरिंग/टेक्नालॉजी में स्नातक उपाधि अथवा पालीटेक्निक से डिप्लोमा उत्तीर्ण।

नोट - सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 30 जून 2014 के अनुसार निःशक्तजनों का आरक्षण वर्गवार न होकर निःशक्तजनों की श्रेणीवार (अस्थि बाधित, दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित) निर्धारित किया गया है तथा परिपत्र दिनांक 03-07-2018 द्वारा श्रेणीवार क्रमशः (1) दृष्टि बाधित और कम दृष्टि-1.5 प्रतिशत (2) बहरे और कम सुनने वाले-1.5 प्रतिशत (3) लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्राफी-1.5 प्रतिशत (4) आटिज्म बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता-1.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। अतः 01 पद आटिज्म बौद्धिक दिव्यांगता स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता के लिये आरक्षित है। मेरिट अनुसार (ओपन, महिला, एससी, एसटी, ओबीसी, अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस) वर्ग में से जिस वर्ग के निःशक्तजन का चयन होगा, उसी वर्ग में निःशक्तजनों के पद समायोजित होंगे।

उप सचिव मध्य प्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, भोपाल (म.प्र.) पत्र क्रमांक 2586/734739/2022/42-2 भोपाल दिनांक 10/10/2022 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है:-

पोस्ट कोर्ड-10 सीधी भर्ती - प्रशिक्षण अधिकारी स्टेनो हिन्दी - कुल 03 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	00	00	00	01	निरंक
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	00	00	00	00	00	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	00	00	00	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	00	00	00	01	
	योग	03	00	00	00	03	

वेतनमान - 36200-114800

शैक्षणिक योग्यता-

- 1- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण ।
- 2- मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन बोर्ड या व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय परिषद /राज्य परिषद से 100 शब्द प्रतिमिनट गति से हिन्दी शीघ्रलेखन अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) से मार्डन आफिस मैनेजमेंट में पॉलीटेक्निक से (100 शब्द प्रतिमिनट से हिन्दी शीघ्रलेखन में) डिप्लोमा ।
- 3- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा प्रमाण पत्र वेध स्कोर कार्ड , हिन्दी टायपिंग न्यूनतम गति 20 शब्द प्रति मिनट के साथ ।
- 4- निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्थानों में से किसी एक संस्थान से एक वर्षीय कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए :-

(क) यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।

(ख) यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा ।

(ग) डी.ओ.ई.ए.सी.सी से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा ।

(घ) शासकी पॉलीटेक्निक कॉलेज से मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स ।

(ङ) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली (N.C.V.T.) अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (S.C.V.T.) मध्यप्रदेश द्वारा प्रदत्त एक वर्षीय " कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग अस्सिस्टेंट (COPA) प्रमाण पत्र । उक्त मान्यता प्राप्त संस्थानों से कम्प्यूटर डिप्लोमा के अलावा निम्न अर्हता भी मान्य होंगी ।

(क) बी.ई.(सी.एस.ई./आई.टी.)/एम.सी.ए./एम.एस.सी.

(आई.टी./सी.एस.)

बी.एस.सी.

(आई.टी./सी.एस.) एम. टेक/एम.ई. इत्सादि ।

(ख) ए.आई.सी.टी.ई. से अनुमोदित पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कम्प्यूटर साईंस/कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं इंफार्मेशन टेक्नालॉजी इत्यादि ।

20 प्रतिशत संविदा कर्मचारियों हेतु आरक्षित पदों हेतु आरक्षण तालिका

पोस्ट कोर्ड-11 सीधी भर्ती - प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रानिक्स मैकेनिक - कुल 05 पद
(अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	द्विआंग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	00	00	00	01	01	निःशक्तजनों की कुल 01 रिक्तियों में से 00 VH 00 EH 01 LD एवं 00 MD निःशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जावेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	01	00	00	00	01	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	00	00	00	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	00	01	00	00	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	00	00	00	01	
	योग	03	01	00	01	05	

वेतनमान - 32800-103600

शैक्षणिक योग्यता-

हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठ्यक्रम से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ संबंधित ट्रेड से एनसीव्हीटी/एससीव्हीटी से एआईटीटी(आई.टी.आई)/एनएसी (अप्रेन्टिसशिप) परीक्षा उत्तीर्ण।

अथवा

हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठ्यक्रम से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ सेन्टर आफ एकसीलेंस योजना अंतर्गत इलेक्ट्रानिक्स सेक्टर में मल्टी स्किलिंग कोर्सेस का एनसीव्हीटी/एससीव्हीटी से दो वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण

अथवा

एआईसीटीई/यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से इलेक्ट्रानिक्स/इलेक्ट्रानिक्स एण्ड टेली कम्यूनिकेशन/ इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कंट्रोल सिस्टम/ इलेक्ट्रानिक्स साइंस एण्ड इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन/इलेक्ट्रानिक्स इंस्ट्रुमेंटेशन एण्ड कंट्रोल/ इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इंस्ट्रुमेंटेशन/ इलेक्ट्रानिक्स एण्ड टेलीमेटिक्स से इंजीनियरिंग/टेक्नालॉजी में स्नातक उपाधि अथवा पालीटेक्निक से डिप्लोमा उत्तीर्ण।-

नोट - सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 30 जून 2014 के अनुसार निःशक्तजनों का आरक्षण वर्गवार न होकर निःशक्तजनों की श्रेणीवार (अस्थि बाधित, दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित) निर्धारित किया गया है तथा परिपत्र दिनांक 03-07-2018 द्वारा श्रेणीवार क्रमशः (1) दृष्टि बाधित और कम दृष्टि-1.5 प्रतिशत (2) बहरे और कम सुनने वाले-1.5 प्रतिशत (3) लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्राफी-1.5 प्रतिशत (4) आटिज्म बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता-1.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। अतः 01 पद लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्राफी के लिए आरक्षित है। मेरिट अनुसार (ओपन, महिला, एससी, एसटी, ओबीसी,

अनारक्षित, ईडब्लूएस) वर्ग में से जिस वर्ग के निःशक्तजन का चयन होगा, उसी वर्ग में निःशक्तजनों के पद समायोजित होंगे।

पोस्ट कोर्ड-12 सीधी भर्ती - प्रशिक्षण अधिकारी डीजल मैकेनिक - कुल 10 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	02	01	00	00	03	निःशक्तजनों की कुल 01 रिक्तियों में से 00 VH 00 EH 00 LD एवं 01 MD निःशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जावेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	ई.डब्लू.एस.	00	01	00	00	01	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	01	00	00	02	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	00	01	00	02	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	01	00	00	02	
	योग	05	04	01	00	10	

वेतनमान - 32800-103600

शैक्षणिक योग्यता-

हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठ्यक्रम से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ संबंधित ट्रेड से एनसीव्हीटी/ एससीव्हीटी से एआईटीटी (आई.टी.आई /एनएसी (अप्रेन्टिसशिप परीक्षा उत्तीर्ण और लाइट मोटर व्हीकल का ड्रायविंग लायसेंस।

अथवा

हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठ्यक्रम से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ सेन्टर आफ एक्सीलेंस योजना अंतर्गत मल्टी स्किलिंग कोर्सेस का एनसीव्हीटी / एससीव्हीटी से दो वर्षीय पाठ्यक्रम। आटो मोबाइल सेक्टर से उत्तीर्ण और लाइट मोटर व्हीकल का ड्रायविंग लायसेंस।

अथवा

एआईसीटीई/यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से मैकेनिकल इंजीनियरिंग (आटोमोबाइल आटोमोटिव आटोमोबाइल से इंजीनियरिंग टेक्नालाजी में स्नातक उपाधि अथवा पालीटेक्निक से डिप्लोमा उत्तीर्ण और लाइट मोटर व्हीकल का लायसेंस।

नोट- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 30 जून 2014 के अनुसार निःशक्तजनों का आरक्षण वर्गवार न होकर निःशक्तजनों की श्रेणीवार (अस्थि बाधित, दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित) निर्धारित किया गया है तथा परिपत्र दिनांक 03-07-2018 द्वारा श्रेणीवार क्रमशः (1) दृष्टि बाधित और कम दृष्टि-1.5 प्रतिशत (2) बहरे और कम सुनने वाले-1.5 प्रतिशत (3) लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्राफी-1.5 प्रतिशत (4) आटिज्म बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता-1.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। अतः **01** पद आटिज्म बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता के लिये आरक्षित है। मेरिट अनुसार (ओपन, महिला, एससी, एसटी, ओबीसी, अनारक्षित, ईडब्लूएस) वर्ग में से जिस वर्ग के निःशक्तजन का चयन होगा, उसी वर्ग में निःशक्तजनों के पद समायोजित होंगे।

पोस्ट कोर्ड-13 सीधी भर्ती - प्रशिक्षण अधिकारी रेफ्रिजरेशन तथा एयर कंडीशनर मैकेनिक -
कुल 03 पद

(अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	00	00	00	00	00	निःशक्तजनों की कुल 00 रिक्तियों में से 00 VH 00 EH 00 LD एवं 00 MD निःशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जावेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	01	00	00	00	01	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	01	00	00	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	00	00	00	00	00	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	00	00	00	01	
	योग	02	01	00	00	03	

वेतनमान - 32800-103600

शैक्षणिक योग्यता-

हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठ्यक्रम से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कंडीशनिंग ट्रेड से एनसीव्हीटी/एससीव्हीटी से एआईटीटी (आईटीआई एनएसी अप्रेंटिसशिप परीक्षा उत्तीर्ण।

अथवा

हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठ्यक्रम से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ सेन्टर आफ एक्सीलेंस योजना अंतर्गत रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कंडीशनिंग सेक्टर में मल्टी स्किलिंग कोर्सेस का एनसीव्हीटी/एससीव्हीटी से दो वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण।

अथवा

एआईसीटीई/यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से मैकेनिकल या आरएसी से इंजीनियरिंग टेक्नालाजी में स्नातक उपाधि अथवा पालीटेक्निक से डिप्लोमा उत्तीर्ण।

पोस्ट कोर्ड-14 सीधी भर्ती - प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल - कुल 02 पद
(अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	00	00	00	01	निःशक्तजनों की कुल 00 रिक्तियों में से 00 VH 00 EH 00 LD एवं 00 MD निःशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जावेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	00	00	00	00	00	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	00	00	00	00	00	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	00	01	00	00	01	
	योग	01	01	00	00	02	

वेतनमान - 32800-103600

शैक्षणिक योग्यता-

हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठ्यक्रम से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ संबंधित ट्रेड से एनसीव्हीटी/एससीव्हीटी से एआईटीटी (आई.टी.आई)/ एनएसी (अप्रेन्टिसशिप परीक्षा उत्तीर्ण।

अथवा

एआईसीटीई/यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड संस्था से मैकेनिकल इंजीनियरिंग (प्रोडक्शन **मैकेनिकल** इंजीनियरिंग (इण्डस्ट्री इंटीग्रेटेड /प्रोडक्शन इण्डस्ट्रियल मैन्युफेक्चरिंग इण्डस्ट्रियल प्रोडक्शन प्रोडक्शन एण्ड मैन्युफेक्चरिंग मैकेनिकल (टूल एण्ड डाई मैकेनिकल (वेल्डिंग एण्ड शीट मेटल)/ मैकेनिकल (आरएसी इण्डस्ट्रियल इंजीनियरिंग एण्ड मेनेजमेंट से इंजीनियरिंग टेक्नालाजी में स्नातक उपाधि अथवा पालीटेक्निक से डिप्लोमा उत्तीर्ण।

पोस्ट कोर्ड-15 सीधी भर्ती - प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्ट्समैन सिविल - कुल 05 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	00	00	00	01	निःशक्तजनों की कुल 00 रिक्तियों में से 00 VH 00 EH 00 LD एवं 00 MD निःशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जावेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	00	00	00	00	00	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	00	00	00	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	01	00	00	02	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	00	00	01	00	01	
	योग	03	01	01	00	05	

वेतनमान - 32800-103600

शैक्षणिक योग्यता-

हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठ्यक्रम से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ संबंधित ट्रेड से एनसीव्हीटी एससीव्हीटी से एआईटीटी (आईटीआई एनएसी अप्रेंटिसशिप परीक्षा उत्तीर्ण।

अथवा

एआईसीटीई/यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से सिविल कंस्ट्रक्शन सिविल इंजीनियरिंग एण्ड प्लानिंग कंस्ट्रक्शन एण्ड मैनेजमेंट कंस्ट्रक्शन एण्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बिल्डिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन टेक्नालाजी से इंजीनियरिंग टेक्नालाजी में स्नातक उपाधि अथवा पालीटेक्निक से डिप्लोमा उत्तीर्ण।

उप सचिव मध्य प्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, भोपाल (म.प्र.)
पत्र क्रमांक 2586/734739/2022/42-2 भोपाल दिनांक 10/10/2022 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है:-

पोस्ट कोर्ड-16 सीधी भर्ती - प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रिशियन- कुल 12 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	02	01	00	00	03	निःशक्तजनों की कुल 01 रिक्तियों में से 00 VH 00 EH 00 LD एवं 01 MD निःशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जावेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	01	01	00	00	02	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	00	00	00	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	02	01	00	00	03	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	02	00	00	01	03	
	योग	08	03	00	01	12	

वेतनमान - 32800-103600

शैक्षणिक योग्यता-

हाई स्कूल अथवा समतुल्य अथवा पुरानी पद्धति से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ समस्त पदों के लिये संबंधित ट्रेड से एनसीव्हीटी/एससीव्हीटी से एआईटीटी(आई.टी.आई)/एनएसी (शिक्षुता) परीक्षा उत्तीर्ण।

अथवा

इलेक्ट्रिशियन वॉयरमेंट ट्रेड के लिये हाई स्कूल अथवा समतुल्य अथवा पुराने पद्धति से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ सेन्टर आफ एक्सीलेंस योजना अंतर्गत इलेक्ट्रीकल सेक्टर में एनसीव्हीटी/एससीव्हीटी से दो वर्षीय मल्टी सिक्लिंग पाठ्यक्रम उत्तीर्ण

अथवा

एआईसीटीई/यूजीसी से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय/बोर्ड/संस्था से इलेक्ट्रीकल / इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग/ इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग(इण्डस्ट्रियल कंट्रोल)/इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक्स (पावर सिस्टिम)/ इलेक्ट्रिकल तथा इंस्ट्रुमेंटेशन/इलेक्ट्रिकल था ऊर्जा से इंजीनियरिंग/टेक्नालॉजी में स्नातक उपाधि अथवा पालीटेक्निक से डिप्लोमा उत्तीर्ण।-

पोस्ट कोर्ड-17 सीधी भर्ती - प्रशिक्षण अधिकारी कम्प्यूटर आपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट
(कोपा) - कुल 12 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	02	01	00	00	03	निःशक्तजनों की कुल 01 रिक्तियों में से 00 VH 00 EH 00 LD एवं 01 MD निःशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जावेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	01	01	00	00	02	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	00	00	00	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	02	01	00	00	03	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	02	00	00	01	03	
	योग	08	03	00	01	12	

वेतनमान - 32800-103600

शैक्षणिक योग्यता-

हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठ्यक्रम से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ संबंधित ट्रेड से एनसीव्हीटी/एससीव्हीटी से एआईटीटी(आई.टी.आई)/एनएसी (शिक्षुता) परीक्षा या डीआईएसीसी से "ए" लेबल परीक्षा या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से पी.जी.डी.सी.ए. उत्तीर्ण।

अथवा

कम्प्यूटर ऑपरेटर तथा प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (कोपा), डेस्कटाप पब्लिशर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर बेसिक कम्प्यूटर (इलेक्ट्रानिक सेक्टर), बेसिक कम्प्यूटर आपरेटिंग स्किल तथा आई.टी.एस. एप्लीकेशन (इलेक्ट्रिकल सेक्टर)ट्रेड के लिये हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठ्यक्रम से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ सेन्टर आफ एक्सीलेंस योजना अंतर्गत आई.टी. (इन्फारमेशन टेक्नालॉजी) सेक्टर में एनसीव्हीटी/एससीव्हीटी से दो वर्षीय मल्टी सिक्लिंग पाठ्यक्रम उत्तीर्ण

अथवा

एआईसीटीई/यूजीसी से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय/बोर्ड/संस्था से से कम्प्यूटर साइंस/कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग/इंफारमेशन टेक्नोलॉजी/ इंफारमेशन तथा कम्प्यूटेशन/इंफारमेशन साइंस/ कम्प्यूटर इंजीनियरिंग/ कम्प्यूटर साइंस एण्ड सिस्टम में इंजीनियरिंग/टेक्नालॉजी में स्नातक उपाधि अथवा पालीटेक्निक से डिप्लोमा उत्तीर्ण।-

अथवा

एआईसीटीई/यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से बी.सी.ए./एम.सी.ए. परीक्षा उत्तीर्ण ।

पोस्ट कोर्ड-18 सीधी भर्ती - प्रशिक्षण अधिकारी फिटर - कुल 06 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	01	00	00	02	निःशक्तजनों की कुल 01 रिक्तियों में से 00 VH 01 EH 00 LD एवं 00 MD निःशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जावेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	01	00	00	00	01	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	00	00	00	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	00	01	01	00	02	
	योग	03	02	01	00	06	

वेतनमान - 32800-103600

शैक्षणिक योग्यता-

हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठ्यक्रम से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ समस्त पदों के लिये संबंधित ट्रेड में एनसीव्हीटी/एससीव्हीटी से एआईटीटी(आई.टी.आई)/एनएसी (शिक्षुता) परीक्षा उत्तीर्ण।

अथवा

हाईस्कूल अथवा समतुल्य अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं उत्तीर्ण के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के अन्तर्गत मल्टी स्किलिंग पाठ्यक्रम का एन.सी.व्ही.टी./एस.सी.व्ही.टी. से दो वर्षीय पाठ्यक्रम :-

(ड) वेल्डर ट्रेड के लिये फेब्रीकेशन (फीटिंग तथा वेल्डिंग) सेक्टरसे उत्तीर्ण .

(च) कारपेंटर ट्रेड के लिये-कंस्ट्रक्शन तथा वुड वर्किंग सेक्टर से उत्तीर्ण .

(छ) टर्नर, मशीनिस्ट (कम्पोजिट) ट्रेड के लिये-प्रोडक्शन तथा मैन्यूफेक्चरिंग सेक्टर से उत्तीर्ण ।

(ज) टर्नर ट्रेड के लिये-प्रोसेस प्लांट मेटेनेस सेक्टर से उत्तीर्ण .

अथवा

एआईसीटीई/यूजीसी से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय/बोर्ड/संस्था से मैकेनिकल/ मैकेनिकल इंजीनियरिंग (प्रोडक्शन)/ मैकेनिकल इंजीनियरिंग (इण्डस्ट्रीज इंटीग्रेटेड)/ प्रोडक्शन /मैकेनिकल इंजीनियरिंग (इण्डस्ट्रीज इंटीग्रेटेड)/ प्रोडक्शन/इण्डस्ट्रियल /मैन्यूफेक्चरिंग/इण्डस्ट्रियल प्रोडक्शन/ प्रोडक्शन तथा मैन्यूफेक्चरिंग/मैकेनिकल (टूल तथा डाई)/ मैकेनिकल (वेल्डिंग तथा

शीट मेटल)/ मैकेनिकल (आरएसी)/इण्डस्ट्रियल इंजीनियरिंग तथा मैनेजमेंट से इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी में स्नातक उपाधि अथवा किसी पॉलीटेक्निक से डिप्लोमा.

पोस्ट कोर्ड-19 सीधी भर्ती - प्रशिक्षण अधिकारी गणित/ ड्राईंग - कुल 05 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	01	00	00	02	निःशक्तजनों की कुल 00 रिक्तियों में से 00 VH 00 EH 00 LD एवं 00 MD निःशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जावेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	00	00	00	00	00	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	00	00	00	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	00	00	00	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	00	01	00	00	01	
	योग	03	02	00	00	05	

वेतनमान - 32800-103600

शैक्षणिक योग्यता-

हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठ्यक्रम से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ ड्राफ्ट्समैन मेकेनिकल ट्रेड से एनसीव्हीटी/एससीव्हीटी से एआईटीटी (आई.टी.आई.)/एनएसी (अप्रेन्टिसशिप) परीक्षा उत्तीर्ण।

अथवा

एआईसीटीई/यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से मैकेनिकल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग (प्रोडक्शन)/ मैकेनिकल इंजीनियरिंग (इण्डस्ट्री इंटीग्रेटेड) प्रोडक्शन / इण्डस्ट्रियल/मैनुफेक्चरिंग/इण्डस्ट्रियल प्रोडक्शन/प्रोडक्शन एण्ड मैनुफेक्चरिंग/मैकेनिकल (टूल एण्ड डाई)/मैकेनिकल (वेल्डिंग एण्ड शीट मेटल)/मैकेनिकल (आरएसी) इण्डस्ट्रियल इंजीनियरिंग एण्ड मैनेजमेंट से इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी में स्नातक उपाधि अथवा पालीटेक्निक से डिप्लोमा उत्तीर्ण।

उप सचिव मध्य प्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, भोपाल (म.प्र.)
पत्र क्रमांक 2586/734739/2022/42-2 भोपाल दिनांक 10/10/2022 के अंतर्गत रिक्त पदों की
जानकारी निम्नानुसार है:-

पोस्ट कोर्ड-20 सीधी भर्ती - प्रशिक्षण अधिकारी स्टेना हिन्दी - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	00	01	00	00	01	निरंक
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	00	00	00	00	00	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	00	00	00	00	00	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	00	00	00	00	00	
	योग	00	01	00	00	01	

वेतनमान - 36200-114800

शैक्षणिक योग्यता-

- 5- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण ।
 - 6- मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन बोर्ड या व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय परिषद /राज्य परिषद से 100 शब्द प्रतिमिनिट गति से हिन्दी शीघ्रलेखन अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) से मार्डन आफिस मेनेजमेंट में पॉलीटेक्निक से (100 शब्द प्रतिमिनिट से हिन्दी शीघ्रलेखन में) डिप्लोमा ।
 - 7- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा CPCT प्रमाण पत्र वेध स्कोर कार्ड , हिन्दी टायपिंग न्यूनतम गति 20 शब्द प्रति मिनिट के साथ ।
 - 8- निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्थानों में से किसी एक संस्थान से एक वर्षीय कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए :-
- (च) यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।
- (छ) यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा ।
- (ज) डी.ओ.ई.ए.सी.सी से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा ।
- (झ) शासकी पॉलीटेक्निक कॉलेज से मार्डन ऑफिस मेनेजमेंट कोर्स ।
- (ञ) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली (N.C.V.T.) अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (S.C.V.T.) मध्यप्रदेश द्वारा प्रदत्त एक वर्षीय “ कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग अस्सिस्टेंट (COPA) प्रमाण पत्र । उक्त मान्यता प्राप्त संस्थानों से कम्प्यूटर डिप्लोमा के अलावा निम्न अर्हता भी मान्य होंगी ।

- (ग) बी.ई.(सी.एस.ई./आई.टी.)/एम.सी.ए./एम.एस.सी. (आई.टी./सी.एस.) बी.एस.सी.
(आई.टी./सी.एस.) एम. टेक/एम.ई. इत्सादि ।
- (घ) ए.आई.सी.टी.ई. से अनुमोदित पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कम्प्यूटर साईंस/कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं इंफार्मेशन टेक्नालॉजी इत्यादि ।

अध्याय-3

म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल परीक्षा संचालन के नियम एवं निर्देश

खण्ड-अ

- 3.1** (i) इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। अभ्यर्थी शैक्षणिक अर्हताओं का भलीभाँति अध्ययन उपरान्त ही आवेदन पत्र भरें।
- (ii) आवेदक को विभिन्न पदों हेतु एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक सी-3-9/2016/1/3 भोपाल, दिनांक 10/10/2016 के की कण्डिका क्रमांक 2 के बिन्दु क्रमांक 5 के अनुसार भर्ती परीक्षा के पद संख्या एवं विभागों के नाम घटाये-बढाये जा सकेंगे ।
- (iii) अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकता उल्लेखित करते हुये एक से अधिक पद के लिए अपना विकल्प/अधिमान पदवार चिह्नित कर सकेगा। ऑनलाईन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी एवं विकल्पों के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जावेगी।
- 3.2** (i) आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होने चाहिये ।
- (ii) आवेदन पत्र भरने की तिथि के पश्चात किसी भी दिनांक को अर्हतायें अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों के लिये विचार क्षेत्र में होने की पात्रता नहीं होगी ।
- (iii) आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा ।
- (iv) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/ संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा।
- (v) यदि बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी ।
- (vi) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने एवं तदनुसार परीक्षा में बैठने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी ।

3.3 परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :-

- (i) बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश-पत्र।

- (ii) काला बॉलप्वाइंट पेन। (उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर एवं अन्य लिखित कार्य हेतु।)
- (iii) फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र - मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, अधिकारिक रूप से जारी एवं हस्ताक्षरित अंकसूची मय फोटोग्राफ, तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य। ई आधार मान्य नहीं है।

3.4 परीक्षा में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यथा Scientific Calculator, Mobile Phone, Bluetooth Device, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales and whitener इत्यादि पूर्णतः वर्जित है।

3.5 लिखित परीक्षा में निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाएँ नियमानुसार लागू होने पर :-

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ-8-2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 एवं पी ई बी के आदेश क्रमांक पी ई बी./ प-1/712/2020 भोपाल, दिनांक 05/02/2020 के आधार पर लिखित परीक्षा में निःशक्तजन के लिए निम्नानुसार सुविधा प्रदान की जावेगी।

(अ) यह सुविधा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रदान की जावेगी :-

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से निःशक्तजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।

(ब) प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ :-

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को सहायक अथवा प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान की जावेगी। किन्तु दृष्टिबाधित द्वियांग अभ्यर्थियों को सहायक एवं पुतिपूरक समय दोनों की सुविधा प्रदान की जावेगी। सहायक अथवा प्रतिपूरक समय अथवा दोनों (दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों हेतु) की सुविधा लेने हेतु अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी मय दस्तावेजों एवं शपथ पत्र सहित मण्डल कार्यालय को परीक्षा प्रारंभ होने की दिनांक से 10 दिवस पूर्व प्रस्तुत करनी होगी ताकि मण्डल स्तर पर निम्नानुसार लिखित अनुमति प्रदान की जा सके। अपरिहार्य कारणों से पूर्व में आवेदित लेखन सहायक उपस्थित न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के सत्यापन उपरांत नियमानुसार निर्धारित शर्तों के अनुरूप योग्यताधारी अन्य लेखन सहायक की सुविधा हेतु अनुमति दी जा सकेगी।

(i) लेखन सहायक की नियुक्ति हेतु शर्तें :-

लेखन सहायक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा की शैक्षणिक अहर्ता/ प्रश्न पत्र के स्तर (जो भी कम हो) से एक स्तर नीचे का होना चाहिए।

। उदाहरण के लिए यदि परीक्षा की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक उपाधि है तो लेखन सहायक की योग्यता हायर सेकेन्ड्री होना चाहिए।

(ii) प्रतिपूरक समय हेतु शर्तें :-

यदि अभ्यर्थी प्रतिपूरक समय हेतु आवेदन करता है तो उसे निम्नानुसार प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी :-

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2 घंटे 30 मिनट की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	50 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट
1 घंटे 30 मिनट की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	30 मिनट

(iii) इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएँ :-

यथा संभव ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा कक्ष भूतल पर निर्धारित किया जावेगा।

3.6 प्रवेश-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश-पत्र मण्डल की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर मण्डल ऑनलाईन आवेदन-पत्र को रद्द/निरस्त/ परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3.7 परीक्षा प्रवेश-पत्र (Test Admit Card) :-

- नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन-पत्रों के प्रवेश-पत्र (Test Admit Card-TAC) मण्डल की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे। जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा।
- अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।
- परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, बाये हाथ के अंगूठे का निशान तथा हस्तलिपि (काले बाल पाईट पेन से) अंकित करना होगी।
- प्रवेश-पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

3.8 मूल्यांकन पद्धति :-

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

3.8 अ. त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :-

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र के विषय में आपत्तियाँ आहूत की जाती है तदनुसार विषय विशेषज्ञों से प्रश्नपत्र के आपत्तियुक्त प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं :-

- (i) प्रश्न की संरचना गलत हो।
- (ii) उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
- (iii) कोई भी विकल्प सही न हो।
- (iv) यदि प्रश्न-पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
- (v) कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
- (vi) अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित समझा जाये।
- (vii) प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न-पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरण 01 :- यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी,

$$\frac{90 \times 100}{(100 - 2)} = 91.83$$

उदाहरण 02 :- यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में 140 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{140 \times 150}{(150 - 2)} = 141.89$$

उदाहरण 03 :- यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 190 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{190 \times 200}{(200 - 2)} = 191.91$$

नोट :- सभी गणना को दशमलव के दो अंकों तक की जायेगी ।

(आदेश क्र. मण्डल / 5-प-1/48/5279/2016 भोपाल दिनांक 29.08.2016 के अनुसार)

3.8 ब. परीक्षा में परीक्षा परिणाम नामोलार्इजेशन पद्धति :-

म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल के आदेश क्र. मण्डल/प-1/11/22-2016/4839/2016 भोपाल, दिनांक 04.08.2016 के अनुसार मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाएँ, जिसमें परीक्षा आयोजन एक से अधिक शिफ्टों में किया जाता है तो उन परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम नामोलार्इजेशन पद्धति से तैयार किया जावेगा। जिसका सूत्र निम्नानुसार है:-

Normalized Mark of j^{th} candidate in i^{th} session $\widehat{M}_{ij}$ is given by:

$$\widehat{M}_{ij} = \frac{\bar{M}_i^g - M_q^g}{\bar{M}_i - M_{iq}} (M_{ij} - M_{iq}) + M_q^g$$

where,

M_{ij} is the actual marks obtained by the j^{th} candidate in i^{th}

$\bar{M}_i^g$ is the average marks of the top 0.1% of the candidates considering all sessions

M_q^g is the sum of mean and standard deviation marks of the candidates in the paper considering all sessions

$\bar{M}_i$ is the average marks of the top 0.1% of the candidates in the i^{th} session

M_{iq} is the sum of the mean marks and standard deviation of the i^{th} session

(नामोलार्इजेशन पद्धति के बारे में जानने के लिए मण्डल की वेबसाईट देखे)

3.9 प्रश्न पत्र के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन:-

- (i) प्रश्नपत्र में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ इस हेतु मण्डल वेबसाईट पर ऑनलाईन प्रदर्शित लिंक के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती है। लिंक अपलोड होने के पश्चात तीन दिवस तक ही ऑनलाईन आपत्तियाँ ली जा सकेंगी। उसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जावेगी। अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रश्न पर एक बार आपत्ति दर्ज की जा सकेगी। एक बार आपत्ति दर्ज होने पर उस प्रश्न को विषय-विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत रूप से परीक्षण कर निर्णय लिया जावेगा, अतः उन प्रश्नों पर एक बार आपत्ति दर्ज होने के उपरांत पुनः आपत्ति दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रति प्रश्न/उत्तर पर आपत्ति अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु अभ्यर्थी द्वारा राशि 50/- (पचास) मात्र शुल्क देय होगा। किसी भी परिस्थिति में भौतिक रूप से प्रेषित अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
- (ii) बिन्दु क्रमांक 3.8 अ अनुसार मण्डल द्वारा प्रश्न-पत्र में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ-साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम “की” (अंतिम उत्तर) तैयार की जायेगी।
- (iii) अंतिम उत्तर के संबंध में म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

3.10 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :-

बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाईन परीक्षाओं में यू.एफ.एम./पररूपधारी प्रकरणों पर कार्यवाही हेतु निम्नानुसार मार्गदर्शी नियमावली निर्धारित की जाती है:-

(अ) अनुचित साधन (Unfair means)/ यू.एफ.एम. (UFM) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में

1. परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केलकुलेटर, लॉग टेबिल, नकल पर्चा / Rough Papers/ Loose Paper Slip इलेक्ट्रानिक घड़ी एवं अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
2. परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफसी करना, ईशारे करना व अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क करना।
3. प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना अथवा उपयोग करने पर यूएफएम प्रकरण दर्ज होगा।
4. नकल प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।
5. सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।
6. सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।
7. परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना।
8. परीक्षा कक्ष में मोबाईल अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण का उपयोग करना।
9. ऐसे यूएफएम प्रकरण जिनमें अभ्यर्थी के साथ अन्य व्यक्तियों की संलिप्ता प्रकट होती है।
10. उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी का अन्य ऐसा कोई कार्य, क्रियाकलाप, प्रक्रिया अथवा प्रणाली जिससे परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता दूषित होती हो।

यूएफएम प्रकरणों में बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र-3 में विधिवत जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है, जिसे पृथक लिफाफे में नकल सामग्री/साक्ष्य सहित सीलबन्द किया जावे। उपरोक्त में से किसी भी कृत्य के आधार पर अथवा क्रियाकलाप/गतिविधियों में अभ्यर्थी की अपराधिक संलिप्ता होने पुलिस प्राथमिकी दर्ज की जावेगी।

(ब) पररूपधारण (IMPERSONATION) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में

1. अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना/परीक्षा में शामिल होने का प्रयास करना, यह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधिके अनुसार अपराध है। ऐसे में अभ्यर्थी में विरुद्ध यूएफएम प्रकरण दर्ज करते हुये परीक्षा केन्द्राध्यक्ष

द्वारा एफआईआर भी दर्ज करायी जावेगी। ऐसे अपराध के लिए आवेदककर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

2. विभाग द्वारा आयोजित दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग उक्त अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मण्डल को अवगत कराया जायेगा।

मण्डल द्वारा इस प्रकार के समस्त प्रकरणों को बोर्ड स्तर पर गठित यू.एफ.एम. समिति द्वारा परीक्षण उपरान्त, नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता/परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सकता है।

3.11 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :-

- (i) परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व मण्डल की वेबसाइट पर परीक्षा परिणाम के साथ-साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।
- (ii) नियमपुस्तिका के अध्यायों में उल्लेखित नियमों के आधार पर मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।
- (iii) संबंधित विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरांत परीक्षा परिणाम म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की वेबसाइट www.peb.mp.gov.in पर उपलब्ध कराया जावेगा।
- (iv) विभाग/विभागों को भेजी जाने वाली मेरिट लिस्ट मण्डल की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएंगी।
- (v) अन्तिम कुंजी समिति की अनुशंसाएं भी मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी।

3.12 परीक्षा परिणाम :-

- (i) परीक्षा के सभी चरणों के सम्पन्न होने के बाद अभ्यर्थियों का परिणाम मण्डल की वेबसाइट www.peb.mp.gov.in पर अपलोड किया जायेगा।
- (ii) तदनुसार अभ्यर्थी वेबसाइट से डाउनलोड कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डाक से परीक्षा परिणामका प्रेषण नहीं किया जायेगा।

3.13 म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल का कार्य लिखित परीक्षाओं का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा :-

- (i) परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा।
- (ii) मण्डल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।
- (iii) विभाग द्वारा मांग किये जाने की स्थिति में मण्डल परीक्षा के अन्य चरणों के परिणामों को समेकित कर अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित करेगा।

(iv) अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख मण्डल द्वारा जारी आदेश क्र. मण्डल/2/स्था./11-38/2006/08/6473/2016 दिनांक 19.10.16 में उल्लेखित नियम अनुसार नष्ट कर दिए जायेंगे।

3.14 न्यायिक क्षेत्राधिकार :- परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय के अंतर्गत रहेगा ।

खण्ड-ब

3.15 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा:-

- (i) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को प्रपत्र **प्रारूप-01** अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा।
- (ii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवीं/दसवीं अथवा बारहवीं की अंकसूची को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।
- (iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।

3.16 ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने संबंधी निर्देश:-

- (i) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को प्रपत्र **प्रारूप-01** अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा। जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।
- (ii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा।
- (iii) अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खिंचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें।
- (iv) उपरोक्त मापदंड के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (v) फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा फोटोग्राफ पर खिंचवाने की दिनांक व आवेदक के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये। यथा संभव अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढ़ी में/क्लीन शेव में लगाया गया है तो परीक्षा हाल में वैसी ही स्थिति में उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
- (vi) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।
- (vii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियाँ सुरक्षित रखा जाना होगा।

- (viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु हस्ताक्षर, अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में हस्ताक्षर अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।
- (ix) मिसिंग अथवा अस्पष्ट फोटो-हस्ताक्षर -हस्तलिपि होने पर आवेदन-पत्र अमान्य किये जायेंगे ।
- (x) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होंगे।

3.17 एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि :-

एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा:-

- (i) पोर्टल पर द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन-पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप उचित रूप से भरना चाहिये ।
- (ii) कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्केन कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा।
- (iii) फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही-सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें।
- (iv) अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार की त्रुटि सुधार के लिखित आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नहीं किया जायेगा ।
- (v) भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन-पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

3.18 ऑनलाईन आवेदन भरने के संबंध में निर्देश :

- (i) आवेदन पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते हैं। आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र में राज्य एवं जिले का विवरण "मीनू" के माध्यम से प्राप्त होगा। जिससे भविष्य में आवश्यकतानुसार राज्य एवं जिले की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।
- (ii) आवेदक को आवेदन पत्र में शरीर के स्थायी चिन्ह तथा परीक्षा के समय प्रस्तुत किये जाने वाले फोटो पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना होगा। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।

- (iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारीयों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- (iv) आवेदक द्वारा आनलाईन आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप अर्हता रखने वाली अंक सूची का क्रमांक तथा कुल प्राप्तांक, पूर्णांक सहित आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य है।
- (v) आनलाईन आवेदन पत्र में आवेदक का अपना आधार कार्ड क्रमांक /आधार V ID अनिवार्यतः अंकित किये जाने का प्रावधान रखा है। इसके उपयोग से
 1. परीक्षा के ठीक पूर्व रजिस्ट्रेशन डेस्क पर अभ्यर्थियों का बायोमैट्रिक सत्यापन किया जावेगा।
 2. चयनित अभ्यर्थियों का Biometric Data संबंधित विभागों को हैश कोडेड सीडी में उपलब्ध कराया जायेगा। विभिन्न विभागों द्वारा यह Biometric सत्यापन स्वयं के स्तर पर ही किया जावेगा।
- (vi) पहचान पत्र के मीनू मे मण्डल द्वारा अधिमन्य पहचान पत्र का प्रावधान रखा गया।

3.19 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की व्यवस्था :-

- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र एम.पी.आनलाईन की वेबसाईट www.mponline.gov.in के माध्यम से भरा जा सकता है।
- (ii) इसके अतिरिक्ति स्वयं के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित वेबसाईट्स से डेबिट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्ट्रो) कार्ड/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैंकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है।
- (iii) सीधी भर्ती-बैकलॉग के रिक्त पदों हेतु अभ्यर्थियो द्वारा कोई परीक्षा शुल्क देय नहीं होगा।
- (iv) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन-पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन-पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाईट के माध्यम से प्रवेश-पत्र प्राप्त किया जा सके।

3.20 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने हेतु दो विकल्प हैं :-

(अ) इंटरनेट केफे द्वारा (क्योस्क)

(ब) स्वयं के कम्प्यूटर द्वारा

- (i) आवेदक वेबसाईट www.mponline.gov.in के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत **Application** क्लिक कर **PEB** लिंक में

परीक्षा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी निर्देश/Instructions तथा परीक्षा नियम/Examination Rules उपलब्ध होंगे।

- (ii) निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को क्लिक करें।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही-सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन-पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा।
- (iv) ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु Link के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तलिपि की दो लाईनें, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्कैन कर jpg फॉर्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे **Browse** बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।
- (v) ऑनलाईन आवेदन-पत्र को **Submit** करने के पूर्व पुनः पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही **Submit** बटन का उपयोग कर आवेदन-पत्र को जमा करें।
- (vi) आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन-पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु **proceed to payment** बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :-

(अ) क्रेडिट/डेबिट कार्ड (सभी बैंकों के)

(ब) इंटरनेट बैंकिंग

3.21 क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान:-

- (i) आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।
- (ii) क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।
- (iii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

3.22 इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान :-

- (i) आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है।

- (ii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारीयों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

3.23

आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर **Unpaid Application** लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन-पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन-पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

3.24 निर्धारित तिथि में जमा किए गए ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन की व्यवस्था

- (i) ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओं के आधार पर होगी:-
- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में निर्धारित दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इंटरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा।
- (ii) उक्त सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन-पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।
- (iii) संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा।
- (iv) उपरोक्त प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी।
- (v) परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से अनारक्षित का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।
- (vi) संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को Vital Field अर्थात् नाम, पिता/माता/पति के नाम एवं जन्मतिथिमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा, अन्य प्रविष्टियों जैसे फोटो व हस्ताक्षर में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी।

- (vii) संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- (viii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, बोर्ड आवेदन-पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
- (ix) संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये मण्डल द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा।

3.25 एक से अधिक ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने संबंधी निर्देश :-

- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक अर्थात् डुप्लीकेट ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन-पत्र की जानकारी यथा आधार नम्बर नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम जन्मतिथि, लिंग इत्यादि में समानता के आधार पर कम्प्यूटर पर सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा गया है, क्या उसे निरस्त करना चाहते हैं ? यदि आवेदक द्वारा “हाँ” विकल्प का चयन किया जाता है तब ही उसके द्वारा नवीन आवेदन-पत्र भरा जा सकेगा, अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाईन आवेदन-पत्र ही मान्य होगा।
- (ii) अभ्यर्थी द्वारा विकल्प “हाँ” का चयन कर नवीन आवेदन भरने की स्थिति में आवेदक के मोबाईल नंबर/ई-मेल आईडी पर एम.पी. ऑनलाईन द्वारा यथा सम्भव पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त होने की जानकारी भेजी जाएगी तथा नवीन आवेदन-पत्र की हार्डकॉपी में भी पूर्व में भरा गया आवेदन पत्र निरस्त होने की जानकारी दी जायेगी।
- (iii) ऐसी स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन का भुगतान किया गया शुल्क राजसात किया जावेगा तथा इसके स्थान पर भरे गए नवीन आवेदन-पत्र के लिए पुनः शुल्क का भुगतान करना होगा।
- (iv) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी।

3.26 ऑनलाईन आवेदन-पत्र का निरस्तीकरण :-

- (i) एम.पी. ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण मण्डल स्तर पर भी सुनिश्चित किया जायेगा। इसके पूर्व एम.पी.ऑनलाईन द्वारा यह परीक्षण किया जाएगा।

- (ii) इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, या डाटा की अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (iii) इस संबंध में मण्डल द्वारा कोई भी पत्राचार नहीं किया जायेगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

3.27 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755 - 6720200 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

3.28 परीक्षा के प्रश्न पत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम नियमपुस्तिका के पृथक अध्याय में दिया गया है।

3.29 म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 3-17/2014/1/3 भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2014 के अनुसार आदेशित किया गया है कि बोर्ड के माध्यम से चयन सूची जारी होने के दिनांक से अधिकतम 03 माह के भीतर चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश जारी करना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकरण में वैधता अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव मान्य नहीं होगा। यदि ऐसे प्रकरण परिलक्षित होते हैं तो इसके जिम्मेदार विभाग प्रमुख होंगे।

3.30 बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया : -

(i) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.01.2010 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार तथा परिपत्र क्रमांक 796/982/ 2012/आप्र/एक दिनांक 26.06.2012 के पालन स्वरूप मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजातियों के ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता को पूर्ण करते हैं, वे अनुसूचित जनजाति संवर्ग में विज्ञापित पदों के विरुद्ध अपने आवेदन पत्र, आवेदन भरने की प्रस्तावित अन्तिम तिथि तक हार्ड कापी में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों को संलग्न करते हुये सीधे नियुक्ति संबंधी कार्यवाही हेतु संबंधित विभाग को प्रेषित करेंगे। आवेदक द्वारा बोर्ड को प्रेषित आवेदन पत्र अमान्य माना जायेगा।

(ii) संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा की तिथि के पूर्व बैगा, सहारिया एवं भारिया अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदनों के परीक्षण उपरान्त उनकी नियुक्ति संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। इस कारण से विभाग के अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित पदों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होता है तो संशोधित पदों की आरक्षण तालिका बोर्ड को उपलब्ध कराई जायेगी।

(iii) बोर्ड द्वारा अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित पदों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होता है तो एक संक्षिप्त संशोधन विज्ञापन जारी किया जायेगा जो अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये बंधनकारी होगी।

(iv) अनुसूचित जनजाति संवर्ग के रिक्त पदों के विरुद्ध बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों की नियुक्ति उपरान्त, परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को इस संवर्ग के शेष पदों हेतु परीक्षा में बैठने का विकल्प विद्यमान रहेगा।

- (v) अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित सभी पदों की पूर्ति यदि बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों से ही हो जाती है तो ऐसी स्थिति में इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी के पदों के लिये परीक्षा में सम्मिलित होने का विकल्प विद्यमान रहेगा।
- (vi) तदुपरांत बोर्ड द्वारा अन्य श्रेणियों के पदों तथा अनुसूचित जनजाति के संशोधित पदों के लिये परीक्षा का आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा ।

3.31 पुनःगणना/पुनर्मूल्यांकन

म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल , भोपाल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किये जाने के पश्चात पुनःगणना/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है । अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये मण्डल द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा ।

3.32 अभ्यर्थी द्वारा जानकारी/समस्या के लिए टोल फ्री नम्बर 18002337899 पर सम्पर्क किया जा सकता है साथ ही परीक्षा सम्बन्धी कोई भी शिकायत मण्डल की E-mail ID "complain.peb@mp.gov.in" पर भेज सकते है ।

3.33 आवेदन पत्र भरने की समयावधि

ऑनलाईन आवेदन पत्र			ऑनलाईन आवेदन में संशोधन		
भरने की प्रारंभिक तिथि	भरने की अंतिम तिथि	भरने के कुल दिवस	करने की प्रारंभिक तिथि	करने की अंतिम तिथि	करने के कुल दिवस
01-11-2022	15-11-2022	15	01-11-2022	20-11-2022	20

3.34 आनलाईन परीक्षा का विवरण

स.क्र.	पाली	दिनांक	अवधि	समय	अधिकतम अंक
1.	प्रथम	16-12-2022 से प्रारम्भ	03 घंटे	प्रातः 09:00 से 11:00 तक	100
2	द्वितीय			दोपहर 02:00 से 04:00 तक	100

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को कम्प्यूटर के माउस की सहायता से काला करना होगा।

3.35 (i) परीक्षा शुल्क :-

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये	अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	आवेदन पत्र जमा करने के लिये एम.पी ऑन लाईन का पोर्टल शुल्क	सीधी भर्ती बैकलॉग के अभ्यर्थियों के लिये
01.	एक	500/- प्रति प्रश्न पत्र	250/- प्रति प्रश्न पत्र	250/- प्रति प्रश्न पत्र	कियोस्क के माध्यम से भरने पर 60/- कियोस्क के माध्यम से न भरने पर 20/-	निरंक

(ii) संशोधन किये जाने पर देय शुल्क

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर शुल्क	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर पोर्टल शुल्क
01.	एक	20/-	40/-

3.36 परीक्षा शहर :-

आवेदको को आवेदन पत्र भरते समय चार परीक्षा शहरों का प्राथमिकता क्रम निर्धारित करना आवश्यक है। बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के प्राथमिकता में अंकित किये गये शहरों में सीटों की उपलब्धता के आधार पर Random प्रकार से परीक्षा केन्द्र आवंटित किये जाने का प्रयास किया जावेगा। तथापि परीक्षा शहरों एवं परीक्षा केन्द्रों की उपलब्धता के अनुरूप अभ्यर्थियों को भी वांछित परीक्षा शहर के स्थान पर अन्य परीक्षा शहर आवंटित किया जा सकता है। बोर्ड अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरों/केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है। एवं उक्त संबंध में मण्डल का निर्णय एवं बाध्यकारी होगा। अतः परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के संबंध में किसी प्रकार के आवेदन मान्य नहीं होंगे। लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा शहरों/केन्द्रों पर आयोजित की जावेगी।

आनलाईन परीक्षा केन्द्र					
1. भोपाल	2. इन्दौर	3. जबलपुर	4. ग्वालियर	5. उज्जैन	6. रतलाम
7. सागर					

खण्ड-द

ऑनलाईन परीक्षा प्रणाली के संबंध में निर्देश

3.37

- (i) परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित रिपोर्टिंग समय पर अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य है।
- (ii) परीक्षा तिथि पर परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थी आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा । अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में उसे परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी ।
- (iii) बायोमेट्रिक के अतिरिक्त अभ्यर्थी को टी.ए.सी. के द्वितीय भाग की प्रविष्टियों को भरकर लाना अनिवार्य है।
- (iv) मण्डल की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के लिये ऑनलाईन परीक्षा के मॉक टेस्ट की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी, जिसका उपयोग कर आवेदक परीक्षा पूर्व, परीक्षा प्रक्रिया का अभ्यास कर सकता है।
- (v) मण्डल कार्यालय में भी आवेदक के लिये ऑनलाईन परीक्षा प्रक्रिया के अभ्यास की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
- (vi) अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान प्रत्येक प्रश्न के लिये उपलब्ध चार विकल्प में से एक विकल्प का चयन उत्तर अंकित करने के लिये अनिवार्य होगा।
- (vii) मण्डल की वेबसाइट पर परीक्षा समाप्त होने के अगले दिवस प्रश्न पत्र एवं मॉडल उत्तर प्रदर्शित किये जायेगे जिसके आधार पर आवेदक प्रश्न एवं उनके उत्तर विकल्पों के संबंध में अपना अभ्यावेदन नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर सकेगा।
- (viii) अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त अंतिम उत्तर कुंजी (आदर्श उत्तर) तैयार किये जायेगे। जिसके आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार कर घोषित किया जाएगा।
- (ix) ऑनलाईन आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं । अतः आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड आवश्यक रूप से संभाल कर रखे जिसकी समस्त/जिम्मेदारी आवेदक की होगी ।
- (x) परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्ट में किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों के स्कोर का Normalisation करने का प्रावधान मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा ।
- (xi) नियम पुस्तिका में परीक्षा आयोजन का समय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन/संशोधन किया जा सकता है ।
- (xii) परीक्षा आयोजन की निर्धारित तिथि में परिस्थिति अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है तथा परीक्षा का आयोजन निर्धारित तिथि के पूर्व या पश्चात भी किया जा सकेगा ।
- (xiii) अभ्यर्थी को केवल मूल फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी । ई-आधार कार्ड का प्रिन्ट आउट यु.आई.डी.ए.आई.(UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा ।
- (xii) परीक्षा में निर्धारित रिपोर्टिंग समय के पश्चात आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।

अध्याय – 04

पाठ्यक्रम

कुल अंक - 100

प्रश्न पत्र- 1		कुल अंक 100
01	सभी पदों के लिए ट्रेड से संबंधित पाठ्यक्रम के 75 वस्तुनिष्ठ Objective type प्रश्न (पाठ्यक्रम अन्त में संलग्न)	75 अंक
	कक्षा दसवी स्तर के निम्न विषयों से 25 वस्तुनिष्ठ Objective type प्रश्न 1. विज्ञान एवं गणित 2. सामान्य ज्ञान 3. तार्किक ज्ञान 4. बेसिक कम्प्यूटर ज्ञान	25 अंक

Madhya Pradesh Employees Selection Board

म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल

Predefined Template

फोटो / Photo

4" x 5" सेमी फोटो
यहाँ चिपकाये
4" x 5" cm photo
paste here

Box-1

हस्ताक्षर / Signature

Box-2

निर्देश / Instruction(फोटो / Photo)

- (i) अपना पूरा हस्ताक्षर बॉक्स-2 के अंदर करें, (ii) अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों e: vFlok vx:th d: y/k gLrk{kj ekU; ugh glkx: A (iii) एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे
- (i) Do your full signature within box-2, (ii) signature in capital letter or Short is not allowed (iii) more than 1 signature will be invalid

निर्देश / Instruction(फोटो / Photo)

फोटोग्राफके निचले हिस्से पर फोटो खिचवाने की दिनांक व आवेदक का नाम स्पष्ट होना चाहिए तथा यह आवेदन करने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए

- Photograph of the candidate should bear his/ her name and the date on the front of the lower part of photograph and it should not be old more than 3 months from application date

स्व-घोषणा / Self-declaration:

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर झूठी या पात्रता मापदंड की आवश्यकताओं अनुसार संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

अथवा / Or

I hereby declare that all statements made in this application are true to the best of my knowledge and belief. If any information being found false at any stage or not satisfying the eligibility criteria according to the requirements, my candidature is liable to be cancelled.

स्व-घोषणा / Self-declaration

(ऊपर दिए गए घोषणा को बॉक्स-3 के अंदर अपने लेखन में कॉपी करें/ Copy in your running hand writing in box-3, the declaration given above)

भुगतान प्राप्त करने के लिये स्वयं के बैंक खाते का विवरण

1. परीक्षा का नाम :
2. परीक्षा की तिथि/पॉली/समय :
3. परीक्षा केन्द्र का नाम :
4. परीक्षार्थी का नाम (हिन्दी में) :
(जैसा बैंक खाते में है)
5. परीक्षार्थी का नाम (अंग्रेजी में) :
6. परीक्षार्थी का रोल न. :
7. बैंक का नाम :
8. बैंक शाखा का नाम :
9. बैंक का IFS Code :
10. बैंक खाता क्रमांक :
11. परीक्षार्थी गृह जिला :
12. गृह जिले से परीक्षा केन्द्र की दूरी :
13. यात्रा का प्रकार :
14. यात्रा व्यय की राशि :
15. पत्र व्यवहार का पता :
16. ई-मेल :
17. फोन न. :

संलग्न :-

1. बैंक पास बुक की स्वप्रमाणित छायाप्रति (प्रथम पृष्ठ) ।
2. यात्रा के दौरान उपयोग किये गए टिकिट (मूल प्रति) ।
3. जाति/ द्रव्यांगता प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।
4. टीएसी के प्रथम भाग की स्वप्रमाणित छायाप्रति ।

दिनांक.....

हस्ताक्षर

निवास का पूर्ण पता

.....
.....
.....

प्रति,

.....
.....
.....

मध्यप्रदेश के आदिम जनजाति समुदाय जैसे:-बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

परीक्षा का नाम:- तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारियों के पदों की भर्ती चयन परीक्षा-2022

- | | |
|---|---|
| 1. आवेदक का नाम :- | आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ संलग्न करे |
| 2. पिता का नाम :- | |
| 3. माता का नाम :- | |
| 4. लिंग (पुरुष/महिला):- | |
| 5. जन्मतिथि :- | |
| 6. आदिम जनजाति का नाम :- | |
| 7. वर्ग (विकलांग/भूतपूर्व सैनिक) :- | |
| 8. शैक्षणिक योग्यता का विवरण :- | |
| 9. कार्यअनुभव का विवरण :- | |
| 10. विशेष/अन्य विवरण :- | |
| 11. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन नम्बर:- | |
| 12. आवेदन प्रस्तुत करने वाले विभाग का नाम:- | |
| 13. पदों के लिये विभाग के चयन का विकल्प(नियम पुस्तिका के अध्याय-02 अनुसार) :- | |

स.क्र.	संचालनालय का नाम (पता)	पदनाम
1.	संचालनालय कौशल विकास म.प्र.रामपुर तिराहा के पास नर्मदा रोड़ जबलपुर (म.प्र)-482008	
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

* पृथक-पृथक विभागों के पदों के लिए पृथक-पृथक संबंधित विभाग को आवेदन किया जाना होगा ।

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर :-.....

दिनांक :-

निवास का पता :-

मोबाईल/दूरभाष नं. :-

